रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30, 1975 (भाद्रपद 8, 1897)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30, 1975 (BHADRA 8, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 4 जुलाई 1975

सं० ए० 32016/2/75-प्रशासन-II—संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में स्थायी सहायक अधीक्षक (हालरिथ) श्री बी० आर० गुप्त को, श्री एम० एल० धवन, अधीक्षक (हालरिथ) को अवकाश दिए जाने पर उनके स्थान पर, 16 जून, 1975 से 31 जुलाई, 1975 तक की 46 दिन की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, अधीक्षक (हालरिथ) के पद पर स्थानापन्न आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

पी० एन० मुखर्जी
अवर सचिव
कृते सचिव, संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 1 जुलाई 1975

सं० ए० 32014/1/74-प्रशासन-I—संघ लोक सेवा आयोग में के० स० स्टे० से० संवर्ग के स्थायी ग्रेड II अधिकारी श्री पी० पी० सिक्का, जिन्हें इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 1975 द्वारा उक्त सेवा के ग्रेड I में पूर्णतया तदर्थ रूप से स्थानापन्न आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, 2 जून, 1975 के अपराह्न से उसी संवर्ग के उसी सेवा के ग्रेड II में प्रत्यावर्तित कर दिए गए हैं ।

सं० ए० 32014/1/74-प्रशासन-I—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में स्थायी वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड II) श्री पी० पी० सिक्का को राष्ट्रपति द्वारा 4 जून, 1975 (पूर्वाह्न) से 3 सितम्बर, 1975 तक की 3 महीने की अवधि के लिए अथवा नियमित प्रबन्ध हो जाने तक, जो भी पहले हो उसी संवर्ग में पूर्णतया अस्थायी तथा तदर्थ आधार में विरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० सेवा का ग्रेड I) के पद पर स्थानापन्न आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

2. श्री पी० पी० सिक्का, को यह अवगत कर लेना चाहिए कि वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड I) के पद पर उनकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर है और के० स० स्टे० से० के ग्रेड I में विलयन के लिए अथवा उस ग्रेड में वरिष्ठता के लिए उनका कोई अधिकार नहीं होगा।

दिनांक 5 जुलाई 1975

सं० पी०-1825-प्रशा०-I—पहले कालेज आफ एग्रीकल्चर, कलकत्ता विश्वविद्यालय में आख्याता और सम्प्रति संघ लोक सेवा

आयोग के कार्यालय में अवर सचिव के पद पर कार्य कर रहे डा० बी० भट्टाचार्य को 5 जुलाई, 1975 के अपराह्न से संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है।

दिनांक 24 जुलाई 1975

सं० ए० 32014/1/74-प्रशा०-I—संघ लोक सेवा आयोग के के० स० स्टे० से० संवर्ग के स्थायी ग्रेड II अधिकारी श्री एस० पी० मेहरा जो इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 1975 द्वारा इस सेवा के ग्रेड I में पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए थे, को 31 मई, 1975 के अपराह्न से उसी संवर्ग में उसी सेवा के ग्रेड II में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

सं० ए० 32014/1/74-प्रशा० I—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग के स्थायी वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड II) श्री एस० पी० मेहरा को राष्ट्रपति द्वारा 2 जून, 1975 से 31 अगस्त, 1975 तक 91 दिन की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उसी संवर्ग में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड-I) के रूप में पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

2. श्री एस० पी० मेहरा को अवगत कर लेना चाहिए कि वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड I) के रूप में उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर है तथा केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड I में विलयन के लिए या उस ग्रेड में वरिष्ठता के लिए उनका कोई अधिकार नहीं होगा।

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा०-I—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में स्थानापन्न वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड I) श्री एम० सी० खुराना, जो समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 मार्च, 1975 द्वारा 1 मार्च 1975 से 31 मई 1975 तक 3 मास की अवधि के लिए निजी सचिव (के० स० स्टे० से० का चयन ग्रेड) के रूप में अस्थायी और तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए थे, को राष्ट्रपति द्वारा 1 जून 1975 से 31 अगस्त 1975 तक की अगली अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उसी हैसियत से पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति दी जाती है।

दिनांक 26 जुलाई 1975

सं० ए० 32013/1/75-प्रशा०-I—संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री टी० एन० चक्रा, जिन्हें इस कार्यालय की अधिसूचना सं० ए० 32013/1/75-प्रशा०-I दिनांक 1 जुलाई, 1975 द्वारा उक्त सेवा के ग्रेड I में और अवर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया था, ने 5 जुलाई, 1975 के अपराह्न से अवर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

2. अपने प्रत्यावर्तन पर श्री टी० एन० चक्रा ने दिनांक 5 जुलाई, 1975 के अपराह्न से संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार पुनः संभाल लिया है।

पी० एन० मुखर्जी
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

मंत्रिमंडल सचिवालय
(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
नई दिल्ली-1, दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० ए०-19036/11/75-प्रशासन-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महा-निरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, आसाम राज्य पुलिस से प्रतिनियुक्त निरीक्षक श्री एस० बी०, पुरकायस्थ को दिनांक 21 जुलाई, 1975 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस उप-अधीक्षक नियुक्त करते हैं।

दिनांक 1 अगस्त 1975

सं० ए० 19036/12/75-प्रशासन-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, महाराष्ट्र राज्य के पुलिस निरीक्षक श्री एस० आर० खानखोजें को दिनांक 16 जुलाई 1975 के अपराह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस उप-अधीक्षक नियुक्त करते हैं।

गुलजारी लाल अग्रवाल,
प्रशासन अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

गृह मंत्रालय
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल महानिदेशालय
नई दिल्ली-1, दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० एफ० 3/22/74-ईस्ट (सी० आर० पी० एफ०)—राष्ट्रपति श्री बी० के० सहगल सहायक कमान्डेंट (स्टाफ आफिसर आई० जी० पी० सेक्टर-3) को उनकी तदर्थ पदोन्नति के फलस्वरूप आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कमान्डेंट के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री बी० के० सहगल ने सहायक कमान्डेंट (स्टाफ आफिसर आई० जी० पी० सेक्टर-3) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के पद का कार्यभार 14 जुलाई 75 के पूर्वाह्न छोड़ा और 14 जुलाई 75 के पूर्वाह्न से सहायक निदेशक (ट्रेनिंग) के पद का कार्यभार, महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में सम्भाला।

दिनांक 1 जुलाई 1975

सं० ओ०-II-772/70-स्थापना—डाक्टर पी० रामचन्द्रा राव ने उनके त्याग पत्र के स्वीकृत होने पर 45 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल से कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद का त्याग 20 मार्च 75 पूर्वाह्न से कर दिया।

दिनांक 1 अगस्त 1975

सं० ओ-II-569/69-स्थापना—श्री मांगे लाल, उप-पुलिस अधिक्षक ग्रुप सेन्टर, के० रि० पु० दल, देवली, राजस्थान ने, वार्द्धक्य-वय प्राप्त होने के फलस्वरूप अपने पद का त्याग दिनांक 16 जून 1975 अप्राह्न को किया ।

सं० ओ०-II-840/72-स्थापना—डाक्टर स्वहेब हुसेन ने उनके त्याग पत्र के स्वीकृत होने पर 51 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल से कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद का त्याग 25-5-75 पूर्वाह्न से कर दिया ।

सं० ओ० -II-910/73-स्थापना—डाक्टर विश्वानाथ पुली ने उनके त्याग पत्र के स्वीकृत होने पर ग्रुप सैन्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल, नागपुर से कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद का त्याग 20 मार्च 1975 पूर्वाह्न से कर दिया ।

सं० ओ०-II-1012/75-स्थापना—डाक्टर शिव चन्द्रा माथुर ने उनके त्याग पत्र के स्वीकृत होने पर ग्रुप सैन्टर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल देवली (राजस्थान) से कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद का त्याग 3-7-1975 अपराह्न से कर दिया ।

ए० के० बन्धोपाध्याय,
सहायक निदेशक (प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 जुलाई 1975

सं० ई०-38013(3)/11/75-प्रशा०-I—श्री आर० के० भगत, सहायक कमांडेंट, ने दिनांक 1 जुलाई 1975 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, बम्बई हवाई पत्तन के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में था, छोड़ दिया और उन्होंने उसी दिनांक से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, भारत भारी विद्युत लिमिटेड (हरिद्वार) के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया । उनका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

दिनांक 31 जुलाई 1975

सं० ई०-38013(1)/1/75-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्री राजा श्रीधरन, आई० पी० एस० (म० प्र०-1957) को श्री एस० बी० सिंह, आई० पी० एस० के स्थान पर दिनांक 18 जुलाई 75 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई-1 का उप-महानिरीक्षक नियुक्त करते हैं । श्री एस० बी० सिंह ने नई दिल्ली में स्थानान्तरित होने पर उसी दिनांक के पूर्वाह्न से उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

एल० एस० बिष्ट
महानिरीक्षक

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 2 अगस्त 1975

सं० पी०/बी० (23) ए० डी०-I—राष्ट्रपति, श्री एस० एन० बनर्जी, उत्तर प्रदेश असैनिक सेवा के अधिकारी, को जनगणना कार्य उप-निदेशक, उत्तर प्रदेश, के पद पर दिनांक 17 जुलाई, 1975 अपराह्न से, अगले आदेश होने तक, अस्थायी रूप से सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

श्री बनर्जी का मुख्य कार्यालय लखनऊ में होगा ।

आर० बी० चारी,
भारत के महापंजीकार और
पदेन संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 जुलाई 1975

सं० 2/1/75-आर० जी० (ए० डी०-I)—राष्ट्रपति, श्री अरिदमन सिंह के हरियाणा के उपजनगणना निदेशक के पद पर की तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 18 जुलाई, 1975 के अपराह्न से 3 महीने की और अवधि के लिए या अगले आदेश प्रेषित होने तक जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं ।

बद्री नाथ,
भारत के उपमहापंजीकार एवं पदेन
उप सचिव

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

बैंक नोट मुद्रणालय

देवास, दिनांक 29 जुलाई, 1975

फा० सं० बी०एन०पी०/सी०/72/74—भर्ती नियमों के अन्तिम रूप दिए जाने पर, श्री आर० व्ही० के० चारी, कार्य निरीक्षक (कर्मशाला), भुसावल, मध्य रेलवे की बैंक नोट मुद्रणालय, देवास में सहायक इंजिनियर (सिविल) के पद पर की गई स्थानापन्न नियुक्ति, तारीख 20 मार्च, 1975 (पूर्वाह्न) से 23 जुलाई, 76 (अपराह्न) तक नियमित आधार पर निरन्तर की जाती है ।

डी०सी० मुखर्जी,
महा प्रबन्धक

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग

कार्यालय, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जुलाई, 1975

प्रशासन, कार्यालय आदेश सं० 278—श्रीमान् महालेखाकार ने इस कार्यालय के निम्नांकित स्थानापन्न लेखा अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से लेखा अधिकारियों के स्थायी पदों के समक्ष समय वेतनमान रु० 840–1200 में मूल (सब्सटैनटिवली) रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया है :—

क्रम सं०	नाम	लेखा अधिकारी के रूप में मूल (सब्सटैनटिव) नियुक्ति की तिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	एच० आर० चौधरी	1-3-73 (पूर्वाह्न)
2.	ए० पी० मंडल	1-3-73 (पूर्वाह्न)
3.	एम० एल० बहल	1-3-73 (पूर्वाह्न)

1	2	3
4.	आर० सी० बहल	1-3-73 (पूर्वाह्न)
5.	एस० एस० गुप्ता	9-4-73 (पूर्वाह्न)
6.	श्री कृष्ण	20-8-73 (पूर्वाह्न)
7.	अवतार सिंह	1-3-74 (पूर्वाह्न)
8.	जे० पी० सिन्हा	1-3-74 (पूर्वाह्न)
9.	आर० एन० मोइत्रा	1-3-74 (पूर्वाह्न)
10.	के० सी० मेहरा	1-3-74 (पूर्वाह्न)
11.	सुन्दर दास	1-3-74 (पूर्वाह्न)

प्रशासन कार्यालय आदेश सं० 279—श्रीमान् महालेखाकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के तथा इस कार्यालय को आबंटित प्रोफार्मा के निम्नांकित स्थानापन्न लेखा अधिकारियों को उनके प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से लेखा अधिकारियों के अधिसंख्य स्थायी पदों (सुपरनुमरैरी पर्मानेन्ट पोस्ट्स) के समक्ष समय वेतनमान रु० 840—1200 में मूल (सब्सटैनटिवली) रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया है—

क्र० सं०	नाम	लेखा अधिकारी के रूप में मूल (सब्सटैनटिव नियुक्ति की तिथि
	सर्वश्री	
1.	जे० आर० शर्मा	21-5-72 (पूर्वाह्न)
2.	एस० डी० कौशल	21-5-72 (पूर्वाह्न)
3.	आर० एल० कुमार	21-5-72 (पूर्वाह्न)
4.	बी० आर० अग्निहोत्रि	20-8-73 (पूर्वाह्न)
5.	एम० एस० बेदी	1-3-74 (पूर्वाह्न)
6.	एम० दुरैस्वामी	1-3-74 (पूर्वाह्न)
7.	पी० एन० मेहता	1-3-74 (पूर्वाह्न)

दिनांक 31 जुलाई 1975

सं० प्रशासन I/पी० एफ०/पी० डी० अग्रवाल/1006—वार्धक्यनिवर्तन (सुपरेनुएशन) की अपनी 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप इस कार्यालय के स्थायी लेखा अधिकारी, श्री पी० डी० अग्रवाल 31 जुलाई 75 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त किए गये ।

उनकी जन्म तिथि "6 जुलाई, 1917" है ।

दिनांक 4 अगस्त 1975

सं० प्रशासन I/पी० एफ०/एस० एस० कौरा/1062—श्रीमान् महालेखाकार, इस कार्यालय के स्थानापन्न लेखाधिकारी श्री एस० एस० कौरा की 15 जुलाई, 1975 से 31 जुलाई, 75 तक की उन्हें स्वीकार की गई अवकाश-अवधि की समाप्ति पर उनके द्वारा दिए गए त्याग पत्र को 1 अगस्त, 1975 (पूर्वाह्न) से स्वीकार करते हैं ।

एच० एस० दुग्गल,
वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार जम्मू व काश्मीर

श्रीनगर, दिनांक 25 जून 1975

सं० एडमिन I/4(26)/72-74/1074—महालेखाकार जम्मू व काश्मीर ने स्थानापन्न अधिकारी सर्व श्री मोती लाल नादिर, जगर नाथ बाबू, श्याम सुन्दर दर, बी० एन० कौल को क्रमानुसार 1 फरवरी 1975, 1 मार्च 1975, 1 जून 1975, 1 जून 1975 से स्थाई रूप में लेखा अधिकारी के वेतनमान में नियुक्त किया है ।

पी० के० बोस,
वरिष्ठ उप-महालेखाकार,
(प्रशासन तथा अधिकरण)

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

रक्षा लेखा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० 40011(2)/74-प्रशा० ए०—(1) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) विनियमावली, 1972, के नियम 48 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति का नोटिस दे दिए जाने पर, श्री के० सीता रमैया, स्थानापन्न लेखा अधिकारी (रोस्टर सं० ओ०/57) को, जो रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना), देहरादून के संगठन में सेवारत थे, 10 अप्रैल, 1975 के पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया गया है ।

श्री सीता रमैया को 10 अप्रैल 75 से 16 अप्रैल 75 तक की अर्जित छुट्टी स्वीकृत की गई थी ।

(2) रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता के संगठन में सेवारत श्री जी० डी० राय, स्थायी लेखा अधिकारी (रोस्टर सं० पी०/514) को वार्धक्य निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 सितम्बर, 1975 के अपराह्न से पेंशन स्थापना को अंतरित किया जाएगा ।

दिनांक 4 अगस्त 1975

सं० 3250/प्रशा०-II—58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एस० जी० दुबे, रक्षा लेखा नियंत्रक मध्य कमान को 31 अक्तूबर 1975 (अपराह्न) से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जाएगा और उनका नाम विभाग की नफरी से निकाल दिया जाएगा ।

एस० के० सुन्दरम्,
रक्षा लेखा अपर महा नियंत्रक (प्रशासन)

श्रम मंत्रालय

खान सुरक्षा महानिदेशालय

धनबाद, दिनांक 4 अगस्त 1975

सं० 2ए (3) 74-प्रशासन-1/13147—श्री विनोद कुमार जैन को खान सुरक्षा महानिदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर परिवीक्षाधीन रूप से 13 मार्च, 1975 के पूर्वाह्न से दो वर्षों के लिये नियुक्त किया गया तथा उनकी पोस्टिंग गाजियाबाद उप- क्षेत्र में की गयी ।

श्याम शिव प्रसाद,
खान सुरक्षा महानिदेशक

कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था

जगजीवन नगर, दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० प्र० 44 (24) 73—श्री एस०के० बहल सहायक अभियन्ता (जन स्वास्थ्य) कोयला खान कल्याण निर्माण, धनबाद का त्याग पत्र स्वीकृत होने पर उन्होंने दिनांक 2 जून 1965 (अपराह्न) को अपने पद का भार छोड़ा।

राजेश्वर प्रसाद सिन्हा,
कोयला खान कल्याण आयुक्त धनबाद

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय
आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण

स्थापना

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1975

सं० 6/470/57-प्रशा०(राज०)/9317—राष्ट्रपति उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, एर्नाकुलम में नियंत्रक, श्री एस० बालकृष्ण पिल्ले को 12 मई 75 से 27 जून 75 तक 47 दिन की अवधि के लिए उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात एर्नाकुलम के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 6/353/56-प्रशा० (राज०)/9321—राष्ट्रपति, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय मद्रास में नियंत्रक क्लास-1, श्री के० एम० आर० मैनन को 16 अप्रैल, 75 से 17 जून, 75 तक की अवधि के लिए उसी कार्यालय में उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के रूप में श्री वाई० जी० पार्थसारथी को छुट्टी की मंजूरी होने पर उनके स्थान पर नियुक्त करते हैं।

वी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

नई दिल्ली, दिनांक जुलाई 1975

सं० 6/1044/74-प्रशा०(राज०)/9234—मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात एतद्द्वारा महानिदेशक, नागरिक विमानन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली में सहायक हवाई अड्डा अधिकारी, श्री चन्द्र प्रकाश को 7 जुलाई, 1975 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, का कार्यालय (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र), नई दिल्ली में नियंत्रक, आयात-निर्यात, क्लास-2 (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से इतर) स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

नियंत्रक, आयात-निर्यात के रूप में श्री चन्द्र प्रकाश 650-30-740-35-द० अ०-35-880-40-1000-द० अ०-40-1200 रुपये के वेतनमान में नियमों के अनुसार वेतन प्राप्त करेंगे।

दिनांक 29 जुलाई 1975

सं० 6/1051/74-प्रशा०(राज०)/9240—मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात एतद्द्वारा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में अनुसंधान सहायक श्री एल० एम० लकड़ा को 10-7-75 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, कलकत्ता में नियंत्रक, आयात-निर्यात, क्लास-2 (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से इतर) स्थानापन्न, रूप में नियुक्त करते हैं।

2. नियंत्रक, आयात-निर्यात के रूप में श्री एल० एम० लकड़ा 650-30-740-35-810-द० अ०-35-880-40-1000-द० अ०-40-1200 रुपये के वेतनमान में नियमों के अनुसार वेतन प्राप्त करेंगे।

ए० टी० मुखर्जी,
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बंबई-20, दिनांक 2 अगस्त 1975

सं०ई०एस०टी०-I-2 (454)—वस्त्र आयुक्त कार्यालय, बम्बई के निदेशक (सी पी एवं रंगाई) श्री कृष्णमूर्ती श्रीनिवास भुजंग सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 जून, 1975 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए।

सं० ई०एस०टी०-I-2 (651)—श्रीमान् राष्ट्रपति, 21 मई 1975 के पूर्वाह्न से, अन्य आदेश होने तक, श्री का० वेंकटेश्वर चलपति राव को वस्त्र आयुक्त कार्यालय, बम्बई में उप-निदेशक (मूल्य) (भारतीय आर्थिक सेवा की तृतीय श्रेणी) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र पाल कपूर,
वस्त्र आयुक्त

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

कार्यालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1975

सं० 19018/196/75-प्रशा० (राज०)—विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली के कार्यालय में, अर्धस्थायी लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी श्री सुशील कुमार को, विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघुउद्योग सेवा संस्थान लुधियाना में, अगले आदेशों तक के लिए, सहायक निदेशक (वर्ग-2) नियुक्त करते हैं। श्री सुशील कुमार ने लघु उद्योग सेवा संस्थान लुधियाना में सहायक निदेशक (वर्ग-2) के पद का कार्यभार, दिनांक 7 जुलाई, 1975 के पूर्वाह्न से संभाला।

दिनांक 2 अगस्त 1975

सं० ए 19018/195/75-प्रशा० (राज०)—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर, विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान बम्बई के अस्थायी लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी (मेटल फिनिशिंग) तथा अर्द्ध स्थायी अन्वेषक श्री ए० एस० दत्त को, उसी संस्थान में सहायक निदेशक वर्ग (2) नियुक्त करते हैं। श्री ए० एस० दत्त, ने सहायक निदेशक (वर्ग-2) के पद का कार्य भार दिनांक 23 जून, 1975 के पूर्वाह्न से संभाला।

के० वी० नारायणन,
निदेशक (प्रशासन)

पूर्ति विभाग

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन शाखा-1)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 1975

सं० प्र०-1 /1(866)—राष्ट्रपति, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री पी० के० मजूमदार को दिनांक 10 जुलाई, 1975 (पूर्वाह्न) से तथा आगामी आदेशों के जारी होने तक इसी महानिदेशालय नई दिल्ली में सहायक निदेशक (बिक्रीकर) (ग्रेड-1) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

सं० प्र० 1/1(1011)—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा पूर्ति निदेशक (वस्त्र) बम्बई के कार्यालय में अधीक्षक श्री बी० के० बहल को दिनांक 1 जुलाई, 1975 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों के जारी होने तक उसी कार्यालय, बम्बई, में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) के पद पर स्थानापन्न रुप से तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

श्री बहल की सहायक निदेशक (ग्रेड-II) के पद पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तथा श्री एम० कुप्पुस्वामी द्वारा उच्च न्यायालय दिल्ली में दायर दीवानी याचिका सं० 739/71 के निर्णय के अधीन होगी।

सं० प्र० 1/1(1026)—महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में अवर क्षेत्र अधिकारी श्री के० एल० सेठी को दिनांक 16 जुलाई, 1975 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों के जारी होने तक इसी महानिदेशालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (पूर्ति (ग्रेड-II) के पद पर स्थानापन्न रुप से तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

श्री के० एल० सेठी की सहायक निदेशक (ग्रेड-II) के पद पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तथा श्री एम० कुप्पुस्वामी द्वारा उच्च न्यायालय दिल्ली में दायर दीवानी याचिका सं० 739/71 के निर्णय के अधीन होगी।

दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० प्र०-1/1(999)—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने जाने पर श्री लछमन सिंह को दिनांक 18 जुलाई, 1975 के पूर्वाह्न से तथा आगमी आदेशों के जारी होने तक पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में सहायक निदेशक (मुकदमा) (ग्रेड-I) के पद पर स्थानापन्न रुप से नियुक्त करते हैं।

के० एल० कोहली,
उप निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली-1, दिनांक 29 जुलाई 1975

सं० प्र०1/1(560)—स्थायी अधीक्षक और पूर्ति तथा निपटान निदेशक, मद्रास के कार्यालय में स्थानापन्न सहायक निदेशक ग्रेड-II श्री आर० के० बालाराम दिनांक 30 जून, 1975 के अपराह्न से निर्वेतन आयु (58 वर्ष) होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये।

(प्रशासन अनुभाग-6)

दिनांक 2 अगस्त 1975

सं० प्र०-6(247)(58)/57/-II-राष्ट्रपति, भारतीय निरीक्षण सेवा श्रेणी-1 के ग्रेड-III की इंजीनियरी शाखा में निरीक्षण अधिकारी श्री एम० सी० ऐच को दिनांक 14-7-75 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों के जारी होने तक सेवा के ग्रेड-II की इंजीनियरी शाखा में उप निदेशक निरीक्षण के पद पर स्थानापन्न रुप से नियुक्त करते हैं।

श्री एम० सी० ऐच ने निरीक्षण अधिकारी इंजी० का पद भार छोड़ दिया और 14 मई, 75 के पूर्वाह्न से कलकत्ता निरीक्षण मंडल में उप निदेशक निरीक्षण (इंजी०) का पदभार सम्भाल लिया।

के० एल० कोहली,
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता 13, दिनांक 26 जुलाई 1975

सं० 2251 (जी० पी० एस०)/19बी—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के ड्रीलर श्री जी० पी० शाह ने मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि० (खनिज समन्वेषण निगम लि०) में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिये अपने पद का कार्य-भार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 7 जुलाई, 1973 के अपराह्न से त्याग दिया है।

बी० के० एस० वरदन
महानिदेशक

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 1 अगस्त 1975

सं० ए० 19011(10)/70-स्था० ए०—योजना आयोग में वरिष्ठ विशेषज्ञ (खनिज) के पद से प्रत्यावर्तन होने पर श्री एम० सी० बासू राय चौधरी 30 जून, 1975 के पूर्वाह्न से इस विभाग में अधीक्षक खनिज अर्थशास्त्री के रूप में कार्य करने के लिये उपस्थित हो गये हैं।

दिनांक 2 अगस्त 1975

सं० ए० 19012(7)/70 स्था० ए० —1 मई, 1975 के समसंख्यक ज्ञापन द्वारा श्री डी० एन० धारे की पुस्तकाध्यक्ष के पद पर तदर्थ आधार पर की गई पदोन्नति 1 जुलाई, 1975 के पूर्वाह्न से समाप्त कर दी गई है।

ए० के० राघवाचारी
प्रवर प्रशासन अधिकारी
कृते नियंत्रक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

देहरादून, दिनांक 25 जुलाई 1975

सं० गो०—4975/579-ए—निम्नलिखित अधिकारी, जिन्हें स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सा० के० से० श्रेणी II) के पदों पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया गया था, को उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से उनके पदों पर नियुक्ति की पुष्टि की जाती है :—

अधिकारी का नाम	पुष्टीकरण की तारीख	टिप्पणी
1. श्री एस० के० मजूमदार	1-7-72	श्री पी० सी० शर्मा के सेवा-निवृत्त होने पर।
2. श्री बी० आर० पन्त	26-10-72	वर्तमान रिक्ति में
3. श्री एस० के० बनर्जी [दि० 31-12-74 (अपराह्न) से सेवा-निवृत्त]	1-3-73	श्री के० पी० चक्रवर्ती के सेवा-निवृत्त होने पर।
4. श्री ए० के० दास शर्मा	1-3-73	श्री एम० एन० दास गुप्ता के सेवा-निवृत्त होने पर।
5. श्री करुणामय मुखर्जी	1-1-75	श्री एस० के० बनर्जी के सेवा-निवृत्त होने पर।

हरी नारायण,
महासर्वेक्षक नियुक्ति अधिकारी

देहरादून, दिनांक 6 अगस्त 1975

सं० स्था०-1-4979/913-हि०—इस कार्यालय की अधिसूचना सं० स्था०-1-4940/913-हि० दिनांक 4 मार्च 1975 के अनुक्रम में महासर्वेक्षक कार्यालय के श्री रमेश कुमार चमोली, हिन्दी अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति की अवधि 30 जून 1976 या जब तक कि पद नियमित आधार पर भरा जाता है, जो भी पहले हो बढ़ा दी जाती है।

हरी नारायण, महासर्वेक्षक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 1975

सं० 1/5/73—पुरावशेष जो पुरावशेष नहीं हैं, ऐसी निर्यात की वस्तुओं, सामानों और पदार्थों के पारपत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए, पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक एतद्द्वारा वाराणसी में एक विशेषज्ञों की समिति का गठन करते हैं, इस समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

संयोजक

1. अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता,
पूर्वी मंडल, पटना (बिहार)

वैकल्पिक संयोजक

2. सहायक अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता,
संग्रहालय पूर्वी क्षेत्र सारनाथ (उ० प्र०)

सदस्य

3. प्रो० बल्लन जी गोपाल,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ० प्र०)

4. डा० एन० पी० जोशी,
संग्रहालय निदेशक, लखनऊ (उ० प्र०)

नी० र० बैनर्जी,
निदेशक (पुरावशेष)
कृते महानिदेशक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1975

सं० 12/10/74-सतर्कता—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री नवीन चन्द्र सेकिया, विस्तार अधिकारी, (कृषि), कृषि विभाग आसाम को 8 जुलाई 1975 के पूर्वाह्न से अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी गोहाटी में कृषि रेडियो अधिकारी के पद पर अस्थायी पदक्षमता में नियुक्त करते हैं।

सं० 15/2/72-सतर्कता—श्री एस० एन० साधू की आकाशवाणी में सहायक केन्द्र निदेशक के पद पर नियुक्ति होने के फलस्वरूप उन्होंने रेडियो कश्मीर, श्रीनगर में अपने पद विस्तार अधिकारी, परिवार नियोजन, का कार्यभार 18 जून 1975 पूर्वाह्न में त्याग दिया।

सं० 12/3/72-सतर्कता—श्रीमती ए० एन० परिमाला का कृषि व वन विभाग, कर्नाटक सरकार बंगलौर में परावर्तन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली में अपने पद कृषि रेडियो अधिकारी (गृह) का कार्यभार 21 जुलाई 1975 (पूर्वाह्न) को त्याग दिया।

हरजीत सिंह,
प्रशासन उपनिदेशक,
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1975

सं० 4(42)/75-एस० एक—महानिदेशक आकाशवाणी एतद्द्वारा श्री राकेश कुमार जैन को 11 जुलाई 1975 से अग्रेतर आदेशों तक आकाशवाणी अहमदाबाद में, अस्थाई आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं० 4(85)/75-एस० एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री फरुक नजकी को 20 जून 1975 से अग्रेतर आदेशों तक दूरदर्शन केन्द्र, आकाशवाणी, श्रीनगर में, अस्थायी आधार पर कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 4 अगस्त 1975

सं० 4(23)/64-एस० एक—श्री बी० एल० मलहोत्रा कार्यक्रम निष्पादक, आकाशवाणी, इन्दौर, दिनांक 7 जुलाई 1975 से 31 अक्तूबर 1975 तक स्वीकृत की गई सेवा निवृत्ति-पूर्व छुट्टी का उपभोग करने के उपरान्त 31 अक्तूबर, 1975 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

सं० 5(55)/67-एस० एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री एस० पी० गोवर्धन, प्रसारण निष्पादक आकाशवाणी, हैदराबाद को 19 जुलाई 1975 से अग्रेतर आदेशों तक, आकाशवाणी तिरुचिरापल्ली में, अस्थायी आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

शांति लाल,
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 1975

शुद्धि-पत्र

सं० 2/4/74-एस० तीन—इस महानिदेशालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17/21 मार्च, 1975 के क्रमांक 4 में उल्लिखित नाम को श्री पी० सी० खुराना **के स्थान पर** कृपया श्री पी० एस० खुराना **पढ़ा जाए** ।

प्रेम कुमार सिन्हा,
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 1975

सं० 16-9/75-एस०-1—अपना त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर डा० अशित रंजन राय, सहायक निदेशक (भेषजगुण-विज्ञान) जीव विज्ञान प्रयोगशाला एवं पशु घर, राजकीय चिकित्सा भंडार डिपो, मद्रास में 31 मार्च 1975 के अपराह्न को अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

संगत सिंह,
उप प्रशासन निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1975

सं० 31-4/74-सी० जी० एच० एस०-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री एम० ए० समद को 31 दिसम्बर 1974 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस निदेशालय के अधीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में यूनानी चिकित्सक के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया है ।

आई० डी० बजाज,
उप-महानिदेशक (के० स० स्वा० यो०)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० 58-1/74-सी०एच० एस०-1—विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, दिल्ली विमान पत्तन, पालम से अपना तबादला हो जाने पर डा० अशोक कुमार ने 27 फरवरी 1975 के पूर्वाह्न से ग्रामीण स्वा० प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़ (दिल्ली) में तदर्थ आधार पर कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (जी० डी० ओ० ग्रेड-2) के पद का कार्य-भार संभाल लिया ।

दिनांक 1 अगस्त 1975

सं० 35-1/75-सी० एच० एस०-I—अपना तबादला हो जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जी० डी० ओ० ग्रेड-2 की अधिकारी डा० (कुमारी) इन्द्राणी सिंह ने 3 जुलाई 1975 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया और 3 जुलाई 1975 के पूर्वाह्न से उसी हैसियत में तथा वर्तमान शर्तों पर सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जी० डी० ओ० ग्रेड-2 के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

रवीन्द्र नाथ तिवारी,
उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1975

सं० 1-11/73-एडमिन-1—राष्ट्रपति ने बिहार के जनगणना क्रिया के सहायक निदेशक (तकनीकी) श्री टी० पी० दास को 11 जुलाई 1975 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता में सांख्यिकी के सहायक प्रोफेसर के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया है ।

इसी तारीख से श्री डी० के बसु ने अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता में सांख्यिकी के सहायक प्रोफेसर के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

दिनांक 6 अगस्त 1975

सं० 35-5/75-एडमिन०-1—राष्ट्रपति ने विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली की सहायक उपचर्या अधीक्षक कुमारी जे० हैदरअली को 19 मई 1975 के पूर्वाह्न से 3 जुलाई 1975 तक उसी अस्पताल में उपचर्या अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है ।

सूरज प्रकाश जिन्दल,
उप निदेशक प्रशासन

वन साधनों का निवेशपूर्व सर्वेक्षण

देहरादून, दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० 4-7/71-प्रशासन (भाग-II)—श्री पी० एल० भाटिया रक्षा लेखा सेवा के स्थायी लेखा अधिकारी जो कि वन साधनों के निवेशपूर्व सर्वेक्षण देहरादून में प्रतिनियुक्त थे, की सेवाएं 25 जुलाई 1975 की अपराह्न से प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर, महानियंत्रक रक्षा लेखा सेवा को पुनः सौंप दी गई ।

रोमेश चन्द्रा,
मुख्य समन्वयक

परमाणु ऊर्जा विभाग

विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग

(नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना)

बम्बई, दिनांक 14 जुलाई 1975

सं० एन० ए० पी० पी०/2(5)/74-प्रशासन/2439/912—श्री पी० एस० चेवर्गीज अस्थायी सहायक सुरक्षा अधिकारी ने उनकी पदोन्नति नरोरा स्थित नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना में सुरक्षा अधिकारी के पद पर हो जाने पर 3 अक्तूबर 1974 के अपराह्न से बम्बई स्थित विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग में अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा 7 अक्तूबर 1974 के पूर्वाह्न से नरोरा स्थिति नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना में सुरक्षा अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया।

2. श्री पी० एस० चेवर्गीज आगामी आदेश तक के लिए नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना में सुरक्षा अधिकारी का पद सम्भाले रखेंगे।

आर० जे० भाटिया,
प्रधान प्रशासन अधिकारी

परमाणु खनिज प्रभाग

हैदराबाद-500016, दिनांक 23 जुलाई 1975

सं० एम० डी०-2/449/57-प्रशा०—इस प्रभाग की दिनांक 30 मई 1975 की समसंख्यक अधिसूचना के स्थान पर परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक उसी प्रभाग के एक स्थानापन्न अधीक्षक श्री आर० सी० सूद को उसी प्रभाग में 8 मई 1975 से लेकर 14 जुलाई 1975 तक की अवधि के लिए स्थानापन्न रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

एस० रंगानाथन,
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

क्रय एवं भंडार निदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 25 जुलाई 1975

सं० डी० पी० एस०/ए०/32011/2/75/स्थापना/1507/917—इस निदेशालय की दिनांक 31 मई, 1975 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, निदेशक, क्रय एवं भंडार, इस निदेशालय के स्थायी सहायक लेखापाल तथा स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी श्री गजानन लक्ष्मणराव हल्दीपुर को 7 जून, 1975 (अपराह्न) से 11 जून, 1975 (अपराह्न) तक उसी निदेशालय में स्थानापन्न रूप से लेखा अधिकारी (II) नियुक्त करते हैं।

सं० डी० पी० एस०/ए०/32011/2/75—स्थापना/1303/942—इस निदेशालय की दिनांक 30 मई, 1975 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में क्रय एवं भंडार निदेशालय के निदेशक, श्री बाबूभाई मोहनलाल गणात्रा (पश्चिमी रेलवे के स्थायी सहायक लेखाकार तथा स्थानापन्न लेखाकार तथा वर्तमान में इस निदेशालय में इसी पद पर प्रतिनियुक्त, को 7 जून, 1975 के अपराह्न से 29 अगस्त, 1975 के अपराह्न तक इस निदेशालय में सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

के० पी० जोसफ,
प्रशासन-अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500040, दिनांक 26 जुलाई, 1975

सं० ना०ई०स०/प्रशा०/22/13(1)/993—विशेष-कार्य-अधिकारी, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र वरिष्ठ आशुलिपिक श्री सी० एच० बी० एस० एस० एन० शर्मा को 24 जून 1975 से 28 जुलाई, 1975 की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक के लिए, जो भी पहले घटित हो, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद, में स्थानापन्न रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

यू० वासुदेव राव,
प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० ए० 31013/2/75-ई०एच०—राष्ट्रपति ने श्री जी० आर० कठपालिया, स्थानापन्न उप महानिदेशक को 1 मार्च, 1975 से नागर विमानन विभाग में निदेशक विभाग सुरक्षा के ग्रेड में स्थायी रूप से नियुक्त किया है।

दिनांक 4 अगस्त 1975

सं० ए०-19013/17/72-ई० (एच०)—निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर श्री जुगिन्दर सिंह सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं और उन्होंने 31 जुलाई, 1975 अपराह्न से नागर विमानन विभाग में निदेशक विमानमार्ग और विमानक्षेत्र (योजना) के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

टी० एस० श्रीनिवासन,
सहायक निदेशक प्रशासन

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक 29 जुलाई 1975

सं० 1/364/75-स्था०—श्री एस० के० पात्रानबीस, तकनीकी सहायक, कलकत्ता शाखा को 12 मई, 1975 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियन्ता नियुक्त किया जाता है।

पु० ग० दामले,
महानिदेशक

बम्बई, दिनांक 29 जुलाई 1975

सं० 1/362/75-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा कलकत्ता शाखा के स्थानापन्न तकनीकी सहायक, श्री एस० एस० मित्रा को एक अल्पावधिक रिक्ति पर 24-2-75

से लेकर 12-4-75 (दोनों दिन समेत) तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियन्ता नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० 1/265/75-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा कलकत्ता शाखा के सहायक पर्यवेक्षक, श्री सी० डीसूज़ा को अल्पकालिक रिक्त स्थान पर 21 अप्रैल 1975 से लेकर 5 जुलाई 1975 (दोनों दिन समेत) तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं ।

सं० 1/361/75-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा पूना शाखा के स्थानापन्न तकनीकी सहायक, श्री बी० आर० काम्बले को एक अल्पावधिक रिक्ति पर 3 मार्च 1975 से लेकर 21 जून 1975 (दोनों दिन समेत) तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियन्ता नियुक्त करते हैं ।

सं० 1/366/75-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा नई दिल्ली शाखा के स्थानापन्न तकनीकी सहायक, श्री आर० एस० कुरील को एक अल्पावधिक रिक्ति पर 1 अप्रैल 1975 से लेकर 30 जून 1975 (दो दिन समेत) तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियन्ता नियुक्त करते हैं ।

एम० एस० कृष्णस्वामी,
प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय

गुन्टूर-4, दिनांक 11 जून 1975

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, स्थापना

सं० 5—आई० डी० ओ० अंगोल में तैनात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के श्रेणी-II के स्थानापन्न अधीक्षक, श्री सी० कोटेश्वर राव, वार्धक्य के कारण 31 मई, 1975 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए ।

आई० जे० राव,
समाहर्ता

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली-22, दिनांक 31 जुलाई 1975

सं० क-12017/1/72-प्रशा०-5—इस आयोग की अधिसूचना सं० क-12017/1/72-प्रशा०-5, दिनांक 21 मई, 1975 के क्रम में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग एतद्द्वारा श्री टी० पी० येगनन को सहायक अनुसंधान अधिकारी (वैज्ञानिक-गणित ग्रुप) के ग्रेड में स्थानापन्न होने के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना में रु० 650-30-740-35-810 द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ रूप में पुनः 30 जून 1975 से 30 सितम्बर 1975 तक की अवधि के लिए अथवा जब तक पद नियमित रूप से भरा जाए, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं ।

सं० क-19012/503/75-प्रशा०-5—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग एतद्द्वारा श्री एन० के० कश्यप, पर्यवेक्षक को अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता/सहायक अनुसंधान अधिकारी (अभियांत्रिकी) के ग्रेड में स्थानापन्न होने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में रुपया 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में 13 जून 1975 (पूर्वाह्न) से पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं ।

श्री कश्यप ने उपरोक्त तिथि एवं समय से सहायक अभियंता, मेकेनिकल उप-प्रभाग, केन्द्रीय जल आयोग, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश, केन्द्रीय जल आयोग के पद का कार्यभार संभाल लिया है ।

के० पी० वी० मेनन,
अवर सचिव
कृते अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और इन्डो जर्मन इन्जीनियरिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मद्रास 6, दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० 3528/560(3)/75—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर इन्डो जर्मन इन्जीनीयरिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और श्री राम स्करू एण्ड मेटल इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मद्रास-6, दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० 3654/560(3)/75—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर श्री राम स्करू एण्ड मेटल इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और दि सिटाडल फिल्म कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मद्रास-6, दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० 3739/560(3)/75—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर दि सिटाडल फिल्म कारपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और श्री सारू ट्रान्स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास-6, दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० 4131/560(3)/75--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर श्री सारू ट्रान्स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और एन० के० मणी एण्ड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास-6, दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० 4261/560(3)/75--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर एन० के० मणी एण्ड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और श्री तिरुपुरसुन्दरी ट्रान्स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास-6, दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० 4357/560(3)/75--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर श्री तिरुपुरसुन्दरी ट्रान्स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस० श्रीनिवासन,
कम्पनियों का रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और सर्वमंगला टेक्नो सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मद्रास-6, दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० 6260/560(3)/75--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर सर्वमंगला टेक्नो सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस० श्रीनिवासन,
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956

और

इंडिया जूट बेलिंग को० लि०

कलकत्ता, दिनांक 1974

सं० एल०/10603/डी०-7140--यतः इंडिया जूट बेलि० को० लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 23 ए, नेताजी सुभाष रोड कलकत्ता-1 में है, का समापन किया जा रहा है।

और यतः अधोहस्ताक्षरित यह विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक है कि कोई समापक कार्य नहीं कर रहा है और यह कि स्टेटमैंट आफ एकाउन्ट्स (विवरणियों), जो समापक द्वारा दिए जाने के लिए अपेक्षित है, छह क्रमवर्ती मास के लिए नहीं दी गई है।

अतः अब कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का) की धारा 560 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना की तारीख से तीन मास के अवसान पर इंडिया जूट बेलि० को० लिमिटेड का नाम, यदि इसके प्रतिकूल हेतुक दर्शित नहीं किया जाता है तो, रजिस्ट्रर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एन० एन० मौलिक,
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार

आयकर आयुक्त का कार्यालय

कोचीन-68 2016, दिनांक 20 जून 1975

आय-कर

सी० सं० 2-एस्ट/गज/कोण/75-76--आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 117 की उपधारा (2) के अनुसार मुझे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, पी० एस० सुब्रमण्यन, आयकर आयुक्त, केरल-1, एरणाकुलम, निम्नवर्ती आयकर निरीक्षक को रु० 650-30-740-35-810-ई० बी०-35-880-40-1000-ई० बी०-40-1200, के वेतनमान में आयकर अधिकारी, श्रेणी 2 के पद पर 23 जून, 75 या उनके कार्यभार लेने की तारीख से, जो आगे आता है, और आगामी आदेशों तक नियुक्त करता हूं :--

श्री के० सी० तोमस,
आयकर निरीक्षक,
आयकर सरकिल,
कोट्टयम्।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली के पत्र एफ०सं० 22/3/64-एड० 6, दिनांक 25-4-1964 के अनुसार, दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर होंगे। यह परिवीक्षाकाल यदि आवश्यक हो तो लंबा किया जाएगा। प्रस्तुत पद पर उनके स्थायीकरण परिवीक्षाकाल की उचित पूर्ति के अनुसार ही होगा।

3. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी और सामयिक है जो किसी सूचना के बिना ही समाप्त करने लायक है।

दिनांक 1 जुलाई 1975

सी० सं० 2-एस्ट/गज/कोण/75-76—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 117 की उपधारा (2) के अनुसार मुझे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं पी० एस० सुब्रमण्यन, आयकर आयुक्त, केरल-1, एरणाकुलम, निम्नवर्ती आयकर निरीक्षक को रु० 650-30-740-35-810-ई० बी०-35-880-40-1000-ई० बी०-40-1200, के वेतनमान में आयकर अधिकारी, श्रेणी 2 के पद पर उनके कार्यभार लेने की तारीख से, जो आगे आता है, और आगामी आदेशों तक नियुक्त करता हूं :—

श्रीमती के० कमला बाइ, आयकर निरीक्षक, आयकर सरकिल, तिरुवनन्तपुरम ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, के पत्र एफ० सं० 22/3/64-एड० 6, दिनांक 25-4-1964 के अनुसार, दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर होंगे । यह परिवीक्षाकाल यदि आवश्यक है तो लंबा किया जाएगा । प्रस्तुत पद पर उनके स्थायीकरण परिवीक्षाकाल की उचित पूर्ति के अनुसार ही होगा ।

3. यह नियुक्ति बिलकुल अस्थायी और सामयिक है जो किसी सूचना के बिना ही समाप्त करने लायक है ।

पी० एस० सुब्रमण्यन,
आयकर आयुक्त, केरल-I एरणाकुलम ।

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली दिनांक 1975

सं० 1/निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यू III/एस० आर०-III/जून-II/74-75—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०-III/एस० आर०-III/जून-II/74-75/7089 सूचना के अधीन कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज,-III, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए और भारत का राजपत्र (भाग-III अनुभाग-1) दिनांक 29 मार्च 1975 (चैत्र 8, 1897) पृष्ठ सं० 2414 में प्रकाशित सूचना में निम्नलिखित पढ़िए :—

(1) 'पारा एक में सातवीं पंक्ति में 'फरवरी 1975' के स्थान पर '21 फरवरी 1975' पढ़िए ।

(2) पारा दो की अन्तिम पंक्ति में 'फरवरी 1975' के स्थान पर '21 फरवरी 1975' पढ़िए ।

एस० सी० परीजा, सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, नई दिल्ली

आयकर अपीलीय अधिकरण

बम्बई-20, दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० एफ० 48ए०डी० (ए० टी०)/75-पी० भाग-II—इस कार्यालय की अधिसूचना सं० एफ० 48 ए० डी० (ए० टी०)/75, दिनांक 15 जुलाई 1975 के साथ पठन हुई अधिसूचना सं० एफ० 48 ए० डी० (ए० टी०)/74 भाग II दिनांक 22 जनवरी 1975 के अनुक्रम में श्री एन० के० चौरसिया स्थायी सहायक रजिस्ट्रार, आयकर अपीलीय अधिकरण दिल्ली न्यायपीठ, नई दिल्ली जिनकी सेवा-अवधि 1 फरवरी 1975 से 31 जुलाई 1975 तक बढ़ाई गई थी उनकी सेवा-अवधि और छह मास अर्थात् 1 अगस्त 1975 से 31 जनवरी, 1976 तक की कालावधि के लिए बढ़ाई जाती है ।

दिनांक 31 जुलाई 1975

सं० एफ० 48 ए०डी० (ए० टी०)/75 भाग II—श्री आर० सी० श्रीवास्तव वरीय अधीक्षक, आयकर अपीलीय अधिकरण बम्बई जिन्हें अस्थाई क्षमता में तदर्थ आधार पर आयकर अपीलीय अधिकरण, बम्बई न्यायपीठ बम्बई में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 30 जून 1975 (अपराह्न) तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने के लिए अनुमति दी गई थी, देखिए ! इस कार्यालय की अधिसूचना सं० एफ० 48 ए०डी० (ए० टी०)/75 दिनांक 28 मई 1975 उन्हें अस्थाई क्षमता में तदर्थ आधार पर आयकर अपीलीय अधिकरण बम्बई न्यायपीठ बम्बई में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 1 जुलाई 1975 से 30 सितम्बर 1975 तक की तीन माह की कालावधि तक या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति की नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती जो भी शीघ्रतर हो स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

सं० एफ० 48 ए०डी० (ए० टी०)/75 भाग II—श्री एल० आर० अगरवाल वरीय अधीक्षक आयकर अपीलीय अधिकरण, बम्बई जिन्हें अस्थायी क्षमता में तदर्थ आधार पर आयकर अपीलीय अधिकरण बम्बई न्यायपीठ, बम्बई में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 30 जून 1975 (अपराह्न) तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने के लिए अनुमति दी गई थी देखिए ! इस कार्यालय की अधिसूचना सं० एफ० 48 एडी० (ए० टी०)/75 दिनांक 28 मई 1975, उन्हें अस्थायी क्षमता में तदर्थ आधार पर आयकर अपीलीय अधिकरण बम्बई न्यायपीठ बम्बई में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 1 जुलाई 1975 से 30 सितम्बर 1975 तक की 3 माह की कालावधि तक या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति की नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी शीघ्रतर हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

सं० एफ० 48 ए०डी० (ए० टी०)/75-भाग II—श्री एम० एम० प्रसाद अस्थाई क्षमता में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न अधीक्षक आयकर अपीलीय अधिकरण बम्बई न्यायपीठ बम्बई जिन्हें अस्थाई क्षमता में तदर्थ आधार पर आयकर अपीलीय अधिकरण कटक न्यायपीठ, कटक में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 30 जून 1975 (अपराह्न) तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने के लिए अनुमति दी गई थी देखिए ! इस कार्यालय की अधिसूचना सं० एफ० 48 ए०डी० (ए०टी०)/75 दिनांक 28 मई 1975, उन्हें अस्थाई क्षमता में तदर्थ आधार पर आयकर अपीलीय अधिकरण कटक न्यायपीठ कटक में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर 1 जुलाई 1975 से 30 सितम्बर 1975 तक की तीन माह की कालावधि तक या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति की नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी शीघ्रतर हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

हरनाम शंकर अग्र।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर कार्यालय

जयपुर तारीख 13 अगस्त, 1975

निर्देश सं० राज०/सहा० आ०/अर्जन/259—यतः मुझे सी० एस० जैन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 6 व 6 6ए है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908. (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 12, 1974 को को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री कन्हैया लाल तिवाडी पुत्र स्वर्गीय श्री श्री नारायन, नाहरगढ़ रोड, जयपुर (अन्तरक)

(2) श्री राधेश्याम झालानी पुत्र श्री मुरलीधर झालानी, जयपुर (अन्तरिती)

(3) श्री रवीन्द्र नाथ पुत्र श्री महेन्द्रनाथ (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पोलोविक्ट्री सिनेमा जयपुर के सामने मोतीलाल अटलरोड पर स्थित समर लाल जी का बगीची की अचल सम्पत्ति में खंड नं० 6 व 6ए जो कन्हैया लाल तिवाडी जी के स्वामित्व में था।

सी० एस० जैन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज जयपुर

तारीख : 13-8-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर तारीख 13 अगस्त, 1975

निर्देश सं० राज०/सहा० आ०/अर्जन/260—यतः मुझे सी० एस० जैन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 10 व 10ए है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 12, 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री कन्हैया लाल तिवाडी पुत्र स्वर्गीय श्री श्रीनारायन जी तिवाडी (अन्तरक)

(2) श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री कमला प्रसाद (अन्तरिती)

(3) श्री हरलाल पुत्र सादी राम (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 35 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पोलोविक्ट्री सिनेमा जयपुर के सामने मोतीलाल अटल रोड पर स्थित झूमर लाल जी की बगीची नाम की अचल सम्पत्ति में खंड नं० 10 व 10ए जो कन्हैया लाल तिवाडी जी के स्वामित्व में था।

सी० एस० जैन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख 13-8-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर तारीख 13 अगस्त 1975

निर्देश सं० राज०/सहा० आ०/अर्जन/261—यतः मुझे सी० एस० जैन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 12 व 12ए है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 21, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कन्हैया लाल तिवाड़ी पुत्र स्वर्गीय श्री श्रीनारायण जी तिवाड़ी (अन्तरक)

(2) श्री बाबू लाल व प्रेम प्रकाश गुप्ता पुत्रान श्री बद्री लाल गुप्ता (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पोलोविक्ट्री सिनेमा जयपुर के सामने मोती लाल अटल रोड पर स्थित झूमर लाल जी की बगीची नाम के अचल सम्पत्ति में खंड नं० 12 व 12ए जो कन्हैया लाल तिवाड़ी जी के स्वामित्व में था।

सी० एस० जैन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख 13 8-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर कार्यालय

तारीख 13 अगस्त, 1975

निर्देश सं० राज०/सहा० आ०/अर्जन/262—यतः मुझे सी० एस० जैन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिस की सं० 18, 18ए हैं तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 18, 1974 को को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्।—

(1) श्री कन्हैया लाल तिवाडी पुत्र स्वर्गीय श्री श्रीनारायणजी तिवाडी, नाहरगढ़ रोड, जयपुर (अन्तरक)

(2) श्री ब्रह्मदत्त शर्मा पुत्र श्री प्रभुदयाल शर्मा, 46बी, बापूनगर, जयपुर (अन्तरिती)

(3) श्री गनपत लाल सिन्धी (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पोलोविक्ट्री सिनेमा जयपुर के सामने मोतीलाल अटलरोड पर स्थित झूमर लाल स्वरूपलालजी की बगीची नाम की सम्पत्ति में खंड 18, 18ए जो कन्हैया लाल तिवाडी जी के स्वामित्व में था

सी० एस० जैन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख 13-8-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख 13 अगस्त, 1975

निर्देश सं० राज०/सहा० आ०/अर्जन/263—यतः मुझे सी० एस० जैन्

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिस की सं० 19 व 19ए है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 31, 1974 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री कन्हैया लाल तिवाड़ी, नाहरगढ़ रोड, जयपुर (अन्तरक)

(2) श्री मोहन लाल जैन पुत्र श्री नाथू लाल जैन (अन्तरिती)

(3) श्री मुरली धर पारीक (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पोलोविक्ट्री सिनेमा जयपुर के सामने, मोतीलाल अटलरोड पर स्थित सूमर लाल जी की बगीची नाम की अचल सम्पत्ति में खंड नं० 19 व 19ए जो कन्हैया लाल तिवाड़ी के स्वामित्व में था

सी० एस० जैन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जयपुर

तारीख 13-8-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 13 अगस्त 1975

निर्देश सं० राज०/सहा० आ०/अर्जन/264—यतः मुझे सी० एस० जैन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 21 है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 31, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने म सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्री कन्हैया लाल तिवाडी पुत्र श्री नारायन जी तिवाड़ी नाहरगढ़ रोड, जयपुर (अन्तरक)

(2) श्री नाथू राम तिवाडी पिता एवं संरक्षक श्री गुरुप्रसाद (अव्यस्के) (अन्तरिती)

(3) श्री गनपत पंजाबी (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

पोलोविक्ट्री सिनेमा जयपुर के सामने मोतीलाल अटल रोड पर स्थित झूमर लाल जौ की बगीची नाम की अचल सम्पत्ति में खंड नं० 21 जो कन्हैया लाल तिवाडी जी के स्वामित्व में था।

सी० एस० जैन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख 13-8-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 13 अगस्त 1975

निर्देश सं० राज०/सहा० आ०/अर्जन/265—यतः मुझे सी० एस० जैन
आयकर अधिनियम, 1961
(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है और जिसकी सं० 22 व 23 है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 21, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कन्हैया लाल तिवाडी पुत्र स्वर्गीय श्री नारायणजी तिवाडी नाहरगढ़ रोड, जयपुर (अन्तरक)

(2) श्री नाथूराम तिवाडी पिता एवं संरक्षक श्री यतिन्दर कुमार (अव्यस्क) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पोलोविक्ट्री सिनेमा जयपुर के सामने मोती लाल अटलरोड पर स्थित झूमर लाल जी की बगीची नाम की सम्पत्ति खंड नं० 22 व 23 जो कन्हैया लाल तिवाडी के स्वामित्व में था।

सी० एस० जैन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 13-8-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 13 अगस्त 1975

निर्देश संख्या राज०/सहा० आ०/अर्जन/266—यतः मुझे सी० एस० जैन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43),
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 24 व 30 है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 18, 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री कन्हैया लाल तिवाड़ी पुत्र स्वर्गीय श्री श्रीनारायन जी तिवाड़ी, नाहरगढ़ रोड, जयपुर (अन्तरक)

(2) श्री गोदावर देवी ट्रस्ट बनीपार्क, जयपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

पोलोविक्ट्री सिनेमा जयपुर के सामने, मोतीलाल अटल रोड पर स्थित झूमर लाल स्वरूपलाल जी की बगीची नाम की अचल सम्पत्ति में खंड 24 व 30 जो कन्हैया लाल तिवारी जी के स्वामित्व में था ।

सी० एस० जैन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जयपुर

तारीख : 13-8-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 5 बम्बई

बम्बई, दिनांक 7 अगस्त 1975

निर्देश सं० आई० 5/221/74-75—यतः मुझे जे० एम० मेहरा
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 128 हि० नं० 7-सी और 7-डी० सी० टी० एस० नं० 79 है, जो मुलुंड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 20-11-1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती जनाबाई गोपाल वैती और अदर्स (अन्तरक)

(2) स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टाफ चिल्लेखा को० ओप० हाउसिंग सोसायटी लि० (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे;

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जिला बम्बई उपनगर के तालुका कुरला में रजिस्ट्रेशन उप-जिला बान्द्रा के मुलुंड पूर्व बम्बई 81 में स्थित भूस्थल, या भूभाग या भूखंड जिसका सर्वेक्षण नं० 128 हिस्सा नं० 7-सी और 7-डी, नगर सर्वेक्षण सी० टी० एस० नं० 795 अंश टीका नं० 110-120, पैमाइश में निम्न है :—

हिस्सा नं	अधिकारों के अभिलेखानुसार		वास्तविक		पैमाइशानुसार
	वर्गगज	वर्गमीटर	वर्गगज	वर्गमीटर	
7-सी	726	607	730	610.35	
7-डी	605	505.83	610	510.01	
टोटल	1331	1112.83	1340	1120.36	

इस प्रकार घिरा हुआ है अर्थात् उत्तर की ओर से सर्वेक्षण नं० 128 हिस्सा नं० 2 और 3 द्वारा, दक्षिण की ओर से सर्वेक्षण नं० 128 के हिस्सा नं० 6 ए द्वारा, पूर्व की ओर से सर्वेक्षण नं० 128 के हिस्सा नं० 7-बी द्वारा और पश्चिम में 30 फुट चौड़े रास्ते द्वारा

जे० एम० मेहरा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 5 बम्बई

तारीख : 7-8-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 13-8-1975

निर्देश सं० राज०/सहा० आ०/अर्जन/267—यतः मुझे सी० एस० जैन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु० 25,000/- से अधिक है और जिस की सं० 38 है तथा जो जयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 27, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दयित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त आधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री कन्हैया लाल तिवाडी पुत्र स्वर्गीय श्री श्रीनारायन जीतिवाडी, नाहरगढ़ रोड, जयपुर (अन्तरक)

(2) श्री नायूराम तिवाडी पिता एवं संरक्षक श्री विजय कुमार तिवाडी अव्यस्क (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पोलोविक्ट्री सिनेमा जयपुर के सामने मोतीलाल अटल रोड पर स्थित झूमर लाल जी की बगीची नाम की अचल सम्पत्ति में खंड नं० 38 जो कन्हैया लाल तिवाडी जी के स्वामित्व में था।

सी० एस० जैन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख 13-8-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1/2 दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 1974

सं० आई०ए०सी०/एक्यू०/एस०आर०-III/फरवरी-1(18)/611/74-75/2806—यतः मुझे सी० बी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० ए०-22 है जो कैलाश कालोनी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 20 फरवरी, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए :—

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) सरदार शेरजसजीत सिंह पुत्र श्री सरदार राम सिंह निवासी 727 सेक्टर -8बी० चन्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) मेजर जी० एस० सेनी पुत्र डा० मोसा सिंह निवासी ए० 38 कैलाश कालोनी, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

(3) चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर, मिनिस्टरी आफ डिफेंन्स, नई दिल्ली। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का प्लाट नं० ए० 22 जिस पर जायदाद बनी है जिसका क्षेत्रफल 8108/10 वर्ग गज है तथा जो कैलाश कालोनी, नई दिल्ली में स्थित है जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार हैं :—

उत्तर : प्लाट नं० ए०/19
दक्षिण : सड़क
पूर्व : प्लाट नं० ए/21
पश्चिम : प्लाट नं० ए०/23

च० वि० गुप्ते
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नई दिल्ली।

दिनांक : 13 अगस्त, 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-5, बम्बई

बम्बई, दिनांक 28 जुलाई 1975

सं० अ०ई० 5/228/24/74-75—यतः, मुझे जे० एम० मेहरा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० नया सं० नं० 320 (अंश) पुराना नं० 316 है जो चैंबूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के आधीन को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री डी० जे० महुएवाला एंड आर्दस (अन्तरक)

(2) श्री भीमजी खामजी चेडा एण्ड रावजी खीमजी चेडा (अन्तररिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

बम्बई, उपनगर जिले में, बान्द्रे रजिस्ट्रेशन सब डिस्ट्रीक के अन्तर्गत जो बम्बई नगर तथा उपनगर रजिस्ट्रेशन सब डिस्ट्रिक में है, में चेम्बर वृहत मुंबई में यथा स्थित वह समुचा भूभाग अथवा भूखंड सं० सी०टी०एस०न० पैमाइश 13,150.65 वर्ग मीटर (15,728 वर्ग गज) अथवा उससे आसपास और जो 140 एकर और 12 1/2 गुंठे अथवा उससे आसपास (ईस्ट एण्ड एक्सप्रेस हाय वे से आवृत 7 एकर और 34 गुंठे को कम करके) भूमि का भाग है तथा पुराना सर्वेक्षण संख्या या 316 है और नवीन सर्वेक्षण संख्या 320 का अंश है ।

जे० एम० मेहरा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बम्बई ।

तारीख : 28-7-75
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 15 जुलाई, 1975

निर्देश सं० 178/एक्यू०/गाजियाबाद/74/75-750—अतः मुझे, एफ० जे० बहादुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो 262, न्यू गांधी नगर, गाजियाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19-12-1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल के, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरभजन लाल पुत्र श्री मेला राम, निवासी 123, 124, न्यू गांधी नगर, गाजियाबाद, जिला मेरठ। (अन्तरक)

2. श्रीमती राधा रानी पत्नी श्री चमन लाल काबा निवासी 3/75, नेहरू नगर, गाजियाबाद, परगना छमोली, तहसील गाजियाबाद, जिला मेरठ। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति कोठी नं० 262 (प्लाट नं० 123 और 124) न्यू गांधी नगर, गाजियाबाद में जो स्थित है, 1,95,000 रुपये में बेचा गया।

एफ० जे० बहादुर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख : 15 जुलाई, 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 31 जुलाई 1975

सं० आर० ए० सी० 88/75-76—यतः मुझे आर० रंगय्या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 6-3-712/12/7 पंजागुट्टा है, जो हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-12-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री डाक्टर टी० धर्मारेड्डी सुपुत्र स्वं० बुच्चारेड्डी 8-1-29916, शेखपेठ तोली चौकी, हैदराबाद (अन्तरक)

2. श्री वी० वासुदेव रेड्डी पुत्र स्वं० वी० रंगारेड्डी भारती वानिघट प्राईवेट लिमिटड 101 सूर्य किरन बिलाडिंग्स कस्तूरी बा गांधी मार्ग, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नं० 6-3-712/127 एम० आर० जी० एच० बंसीलाल बागकालनी, पंजागुट्टा, हैदराबाद।

आर० रंगय्या,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
(भार साधक)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 31-7-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

जयपुर, दिनाँक 30 जुलाई 1975

निर्देश सं० एस० आर०/जबलपुर/26-12-74—यतः मुझे, एम० एफ० मुन्शी
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० मकान है, जो भरतीपुर वार्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 26-12-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मनजूर अहमद खान मक्यूल अहमद खान, अजमल खान वल्द अनवर खान हनूमान जबलपुर (अन्तरक)

2. श्री किशन लाल अग्रवाल वल्द महादेव प्रसाद सिलोनी गंज जबलपुर

1. लखन चंद जैन कुमार स्टोर अन्धेरे देव जबलपुर

2. आर० विश्वास केलकटा होम्यो स्टोर अन्धरे देव जबलपुर
(3) खेमचन्द जैन

(4) छेदी लाल चौहान टेलर्स (5)गोरीशंकर (6)एम० एम० सेठ (7) सरदार हाउस (8) नेनूमल जबलपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पोरसन मकान नं० 267,280 प्लाट नं० 103 प्लाट नं० 73 भरतीपुर वार्ड जबलपुर।

एम० एफ० मुंशी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख : 30-7-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 1975

निर्देश सं० एम० आर०/जबलपुर/26-12-74—यतः, मुझे, एम० एफ० मुंशी
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000-/ रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकान नं० है, जो भारतीयपुर वार्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16-12-1974 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात:—

1. श्री मंजूर अहमद खान, श्री मकबूल अहमद खान अजमेर खान वल्द अनवरखान हनूमानताल जबलपुर (अन्तरक)

2. श्री सुनील कुमार वल्द परसराम द्वारा पिता परस राम मिलोनी गंज जबलपुर

(1) लखन चन्द जैन कुमार स्टोर अन्धेर देव जबलपुर

(2) आर० विषवास केलफटा होम्यो स्टोर अन्धेर देव जबलपुर (3) खेमचन्द जैन (4) छेदी लाल चौहान टेलर्स (5) गौरीशंकर (6) एम० एम० सेठ (7) सरदार हाउस (8) नेनूमल जबलपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 275 और 276 ब्लाक नं० 103 प्लाट नं० 73 भारतीयपुर वार्ड जबलपुर

एम० एफ० मुंशी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 30 जुलाई, 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 1975

निर्देश सं० एस० आर०/जबलपुर/26-12-74—यत, मुझे, एम० एफ० मुंशी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है और

जिसकी सं० मकान नं० है, जो भारतीयपुर वार्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 26-12-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मंजूर अहमद खान श्री मकबूल अहमद खान और अजमेल खान पुत्रगण अनवरखान हनूमान जबलपुर (अन्तरक)

2. श्री परसराम अग्रवाल वल्द कुन्दनलाल मिलोनीगंज, जबलपुर लखनचन्द जैन कुमार स्टोर अन्धेरे देव जबलपुर

(2) आर० विषवास केलकटा होम्योस्टोर अन्धेरे देव जबलपुर (3) खेमचन्द जैन (4) छेदी लाल चौहान टेलर्स (5) गोरी शंकर (6) एम० एम० सेठ (7) सरदार हाउस (8) नेनूमल जबलपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० 263, 262, 280/9, 280/2 और 280/3 ब्लाक नं० 103 प्लाट 73 भारतीयपुर वार्ड जबलपुर

एम० एफ० मुंशी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल,

दिनांक : 30-7-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——— –

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 1975

निर्देश सं० एस० आर०/जबलपुर/26-12-74—यतः, मुझे, एम० एफ० मुंशी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान नं० है, जो भारतीयपुर वार्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 26-12-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल, से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मंजूर अहमद खान मकबूल अहमद खान और अ[illegible]ल अहमद खान वल्द अनवर खान हनूमान ताल जबलपुर (अन्तरक)

2. श्रीमती लक्ष्मी देवी पति परसराम अग्रवाल कोतवाली बाजार जबलपुर

(1) लखन चन्द जैन कुमार स्टोर अन्धेरे देव जबलपुर (2) आर० विषवास केलकटा होम्यो स्टोर अन्धेरे देव जबलपुर (6) खेमचन्द जैन (4) छेदी लाल चौहान टेलर्स (5) गौरी शंकर (6) एम० एम० सेठ (7) सरदार हाउस (8) नेनूमल जबलपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क म यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 274 और 273 ब्लाक नं० 103 प्लाट नं० 73 भारतीयपुर वार्ड जबलपुर।

एम० एफ० मुंशी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 30-7-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 1975

निर्देश सं० एम० आर०/जबलपुर/26-12-74--अतः मुझे, एम० एफ० मुंशी,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान नं० 277 है, जो भारतीपुर वार्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-12-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर आधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के * अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री मंजूर अहमद खान श्री मक्यूब अहमद खान अजमेल खान वल्द अनवर खान हनूमान ताल जबलपुर (अन्तरक)

2. श्री अनिल कुमार अग्रवाल वल्द परसराम कोतवाली बाजार जबलपुर (अन्तरिती)

3. (1) लखन चन्द जैन कुमार स्टोर अन्धेर देव जबलपुर (2) आर० विश्वास केलकट होम्यो स्टोर अंधेर देव जबलपुर (3) खेम चन्द जैन (4) छेदी लाल चौहान टेलर्स (5) गौरी शंकर (6) एम० एम० सेठ (7) सरदार हाउस (8) नेनूमल जबलपुर ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० 277 और 277/1 ब्लाक नं० 103 प्लाट नं० 73 भारतीपुर वार्ड जबलपुर ।

एम० एफ० मुंशी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 30-7-1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 1975

निर्देश सं० एम० आर०/जबलपुर/26-12-74—अतः, मुझे एम० एफ० मुंशी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान का हिस्सा है जो भारतीपुर वार्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-12-74 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957(1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनयिम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मंजूर अहमद खान श्री मकबुल अहमद खान अजमेल खान वल्द अनवर खान हनूमान ताल जबलपुर। (अन्तरक)

2. श्री मिठाई लाल अग्रवाल वल्द कुनीलाल जबलपुर निमांड़गंज । (अन्तरिती)

3. (1) लखन चंद जैन कुमार स्टोर अंधेर देव जबलपुर (2) आर० विषवास केलकटा होम्यो स्टोर अंधेर देव जबलपुर (3) खेमचन्द जैन (4) छेदी लाल चौहान टेलर्स (5) गौरी शंकर (6) एम० एम० सेठ (7) सरदार हाउस (8) नेनूमल जबलपुर।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी .....

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पोर्शन मकान नं० 278 और 279 ब्लाक नं० 103 प्लाट नं० 73 भारतीपुर वार्ड जबलपुर।

एम० एफ० मुंशी,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 30-7-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जुलाई 1975

निर्देश सं० फगवाड़ा/121/75-76—यतः मुझे वी० आर० सगर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाज़ार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सम्पत्ति है तथा जो जी० टी० रोड़, फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाज़ार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाज़ार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री तेलू राम सपुत्र श्री रामदास मल वासी फगवाड़ा (अन्तरक)

2. श्री गुरदीप सिंह सपुत्र श्री बलवंत सिंह सपुत्र श्री भगत सिंह वासी पलाही तहसील फगवाड़ा (अन्तरिती)

3. सम्पत्ति में रहने वाले सारे किराएदार।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1593 दिसम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख : 31 जुलाई, 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जुलाई, 1975

निर्देश सं० अमृतसर/122/75-76—यतः मुझे, वी० आर० सागर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कोठी का भाग है तथा जो 96 ग्रीन एवेन्यू, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्री जगदीश चन्द सुपुत्र श्री नानक चन्द, 96 ग्रीन एवेन्यू, अमृतसर। (अन्तरक)

2. श्री रविन्द्र कुमार अरोड़ा सुपुत्र श्री काहन चन्द अरोड़ा 210-ए०, मकबूल रोड, अमृतसर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोठी नं० 96 का भाग, ग्रीन एवेन्यू अमृतसर में, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3056 दिसम्बर, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में है।

वी० आर० सागर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख : 31 जुलाई, 1975।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जुलाई, 1975

निर्देश सं० फिरोजपुर/123/75-76—यतः मुझे, वी० आर० सागर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है, और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो गांव सोढ़ी नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1974

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गुरदीप सिंह, रणजीत सिंह सुपुत्र बलवंत सिंह, सोढ़ी नगर द्वारा श्री हर सिमरन सिंह सुपुत्र गुरपाल सिंह जी० ए० वासी फिरोजपुर छावनी। (अन्तरक)

2. श्री दर्शन सिंह, अजमेर सिंह, थाना सिंह सुपुत्र गुरनाम सिंह सुपुत्र नाजिर सिंह वासी ठठा तहसील जीरा जिला फिरोजपुर। सुखवंत सिंह, सुखमिन्द्र सिंह सुपुत्र हरनेक सिंह सुपुत्र नाजिर सिंह वासी ठठा तहसील जीरा, जिला फिरोजपुर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) :

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां, करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3649, 3650, 3651 तथा 3652 दिसम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिरोजपुर में है।

वी० आर० सागर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख : 31 जुलाई, 1975।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जुलाई 1975

निर्देश सं० अमृतसर/124/75-76—यतः मुझे, वी० आर० सागर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सम्पत्ति है तथा जो हाईड मार्कीट अमृतसर (नं० 68) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री बसंत सिंह कुमार 68 हाईड मार्कीट, अमृतसर। (अन्तरक)

2. श्रीमती सरोज चौधरी पत्नी श्री ओम कुमार चौधरी, रघुनाथपुरा, मजीठा रोड, अमृतसर। (अन्तरिती)

3. मैसर्ज जैं० को० डीजल (प्रा०) लि० (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3000 दिसम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में है।

वी० आर० सागर
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख : 31 जुलाई, 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जुलाई, 1975

निर्देश सं० मोगा/125/75-76—यतः मुझे, वी० आर० सागर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो मण्डी गवालां में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख दिसम्बर 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह से प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री टैहल सिंह सुपुत्र श्री रणजीत सिंह सुपुत्र श्री नौरंग सिंह वासी मण्डी गवालां तहसील मोगा। (अन्तरक)

2. श्री सुरजीत सिंह, बालबहादर सिंह सुपुत्रान श्री बिकर सिंह सुपुत्र करतार सिंह वासी चौथ्या चोबां तहसील मोगा। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है ? (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6023 दिसम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा में है।

वी० आर० सागर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख : 31 जुलाई, 1975।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जुलाई 1975

निर्देश सं० फरीदकोट/126/75-76—यतः मुझे, बी० आर० सागर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सम्पत्ति है तथा जो मेन बाजार फरीदकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्रीमती लाजवंती पत्नी श्री राम रछपाल मार्फत मैसर्ज जयराम दास राम रछपाल, अजन्ता इन्टरप्राईजेज, मेन बाजार; फरीदकोट। (अन्तरक)

2. श्री हरीकिशन सिंह, शमशेर सिंह सुपुत्रान श्री हरबंस सिंह, श्री बचितर सिंह सुपुत्र श्री चरन सिंह मार्फत मैसर्ज बचितर सिंह हरीकिशन सिंह, मेन बाजार, फरीदकोट। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है तथा मैसर्ज बचितर सिंह हरीकिशन सिंह (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति नं० बी-VIII/229 मेन बाजार, फरीदकोट जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2956 दिसम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में है।

बी० आर० सागर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमतसर

तारीख : 31 जुलाई, 1975।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जुलाई, 1975

निर्देश नं० फग०/127/75-76—यतः मुझे, वी० आर० सगर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि का प्लाट है तथा जो 25-ए० माडल टाऊन फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बालभदर सिंह सपुत्र श्री परदुमन सिंह वासी बादों तहसील गढ़शँकर अब फगवाड़ा में। (अन्तरक)

(2) श्री तरसेम लाल, सतीश कुमार, सुशील कुमार सपुत्रान श्री बँसी लाल, 42-बी० माडल टाऊन फगवाड़ा। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 25-ए० माडल टाऊन फगवाड़ा, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1708, 1707 तथा 1706 दिसम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख : 31 जुलाई 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जुलाई 1975

निर्देश नं० फग०/128/75-76—यतः मुझे, वी० आर० सागर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और और जिसकी सं० मकान है तथा जो प्लाट नं० 14-ए० माडल टाऊन फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), के अधीन तारीख दिसम्बर 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखि उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री करतार सिंह सपुत्र श्री गोपाल सिंह वासी फगवाड़ा (अन्तरक)

(2) श्री बालभद्र सिंह सपुत्र श्री परदुमन सिंह वासी बादों तहसील गढ़शंकर अब फगवाड़ा में, (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान, प्लाट नं० 14-ए० माडल टाऊन फगवाड़ा, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1711 दिसम्बर 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में है।

वी० आर० सागर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज अमृतसर।

तारीख : 31 जुलाई 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जुलाई 1975

निदश सं० फग०/129/75-76—यतः मुझे वी० आर० सगर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है तथा जो प्लाट नं० 14 ए० माडल टाऊन फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री करतार सिंह सपुत्र श्री गोपाल सिंह वासी फगवाड़ा। (अन्तरक)

(2) श्री बालभद्र सिंह सपुत्र श्री परदुमन सिंह वासी बादों तहसील गढ़शंकर अब फगवाड़ा में। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान, प्लाट नं० 14-ए० माडल टाऊन फगवाड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1717 दिसम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 31 जुलाई 1975
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर]

अमृतसर, दिनांक 31 जुलाई 1975

निदेश सं० फग०/130/75-76—यतः मुझे वी० आर० सगर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान है तथा जो प्लाट नं० 14-ए० माडल टाऊन फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1974 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री जीतेन्द्र सिंह सपुत्र श्री करतार सिंह सपुत्र श्री गोपाल सिंह वासी फगवाड़ा। (अन्तरक)

(2) श्री हरभजन सिंह सपुत्र श्री बालभद्र सिंह वासी बादों तहसील गढ़शंकर अब फगवाड़ा में। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान प्लाट नं० 14-ए० माडल टाऊन फगवाड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1710 दिसम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में है।

वी० आर० सगर,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख : 31 जुलाई, 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जुलाई 1975

निर्देश नं० फग०/131/75-76—यतः मुझे वी० आर० सागर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकान है तथा जो प्लाट नं० 14-ए० माडल टाऊन फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जितन्द्र सिंह सपुत्र श्री करतार सिंह वासी फगवाड़ा । (अन्तरक)

(2) श्री हरभजन सिंह सपुत्र श्री बालभद्र सिंह वासी बादों तहसील गढ़शंकर अब फगवाड़ा में । (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है ।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों, का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान, प्लाट नं० 14-ए० माडल टाऊन फगवाड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1718 दिसम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में है ।

वी० आर० सागर,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर ।

तारीख : 31 जुलाई 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जुलाई, 1975

निर्देश नं० एफ० डी० के०/132/75-76—यतः मुझे वी० आर० सागर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है तथा जो गाँव ममूयाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित कि गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं कया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री बेअँत सिंह सपुत्र श्री अमीर सिंह सर्राफ मेन बाजार, फरीदकोट । (अन्तरक)

(2) श्री गुरदयाल सिंह, सुरजीत सिंह, हरजीत सिंह, सुरजन सिंह, जसवँत सिंह, सुखवँत सिंह सपुत्र श्री बहाल सिंह गाँव ममूयाना तहसील फरीदकोट (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2900 दिसम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में है।

वी० आर० सागर,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमतसर।

तारीख : 31 जुलाई 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)

की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जुलाई 1975

निर्देश नं० एफ० डी० के०/133/75-76—यतः मुझे वी० आर० सागर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/—रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो गाँव मोमुयाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य

से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बेअँत सिंह सपुत्र श्री अमीर सिंह सर्राफ, मेन बाजार, फरीदकोट (अन्तरक)

(2) श्री बलवँत सिंह, कुलवँत सिंह, सूहा सिंह, सपुत्रान श्री गरमेज सिंह, श्री ऊधम सिंह, पीपल सिंह सपुत्र श्री शँगारा गाँव ममुयाना तहसील फरीदकोट (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में चि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2901 दिसम्बर 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में है।

वी० आर० सागर,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख : 31 जुलाई 1975

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 2 जुलाई 1975

निर्देश सं० ए० सि०-8/एकुरे V–/कल/75-76—अतः मुझे, एस० एस० इनामदार

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार, मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 235/4 जि० टि० रोड (नर्थ) है तथा जो सालकिया, थाना : मलिपाँचघरा जिला हावड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हावड़ा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-12-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) 1. श्री ज्ञान चाँद माथारु, 2. श्री योगेन्द्र सिं० माथारु 2/1 ए०, आहमेद मामुजी स्ट्रीट, मालिपाँचघरा जिला हावड़ा (अन्तरक)

(2) 1. श्री तारासाम सिं० माथारु, 2. श्री निर्मल सिं० माथारु, 3. श्री सरजित सिं० माथारु 2/1 ए०, आहमेद मामुजी स्ट्रीट, हावड़ा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1 बिघा 15 कट्ठा 2 छटाक 10 स्को० फुट जमिन साथ मकान जो होल्डिं सं० 235/4 जि० टि० रोड (नर्थ), सालकिया, थाना : मालिपाँचघरा, जिला हावड़ा।

एस० एस० इनामदार,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज V, 54, रफी अहमद
किदवाई रोड, कलकत्ता-16।

तारीख : 2-7-1975

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एम०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-5, बम्बई

बम्बई, दिनांक 31 जुलाई 1975

निर्देश सं० अ० ई० 5/219/15/74-75—अतः मुझे, जे० एम० मेहरा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० नं० 8 एन्० ग्रे० नं० 40 है, जो कुर्ला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-11-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती बीना पोपटलाल कापडिया (अन्तरक)

(2) श्री होरीझीन कन्स्ट्रक्शन कं० प्राई० लि० (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बृहत्तर बम्बई में रजिस्ट्रेशन उप-जिला बम्बई नगर और बम्बई उपनगर के गांव कुर्ला में वह सभी भू० भाग या भूस्थल स्थित हैं जिसका सर्वेक्षण नं० 8, एन० ए० नं० 40 जो माप में 3862 वर्गगज (समकक्ष 3229.47 वर्ग मीटर) या आसपास साथ में जिस पर इमला बना हुआ है और निम्नप्रकार से गिरा हुआ है अर्थात् उत्तर और पश्चिम की ओर से महाराष्ट्र बोर्ड की कालोनी और सर्वेक्षण नं० 81 के बचे हुए भाग द्वारा, दक्षिण की ओर से महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड की कालोनी और सर्वेक्षण नं० 8 के बचे हुए भाग द्वारा और पूर्व की ओर से कुरला विहार रोड की जमीन जिसका नगर सर्वेक्षण नं० 191 द्वारा।

जे० एम० मेहरा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-5, बम्बई।

तारीख : 31 जुलाई, 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, KAKINADA

Kakinada, the 2nd August 1975

Acq. File No. 218, J. No. I(640)/GTR/74-75.—

यतः, मुझे, B. V. Subba Rao

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं०

2757, Satyanarayana Rice & Flour Mill, Macherla Road, Vinukonda

है जो Vinukonda में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, Vinukonda में, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 31-12-74 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. Jonnadula Pitchaiaha, S/o. Krishaiah, Muturl

2. Arumalla Rama Koti Reddy, S/o. Subbireddi. Valiveru.

3. Gadee Sivaramakrishna Reddy S/o. Veerareddy, Valiveru.

4. Majeti Subba Rao, S/o. Guravaiah, Valiveru.

5. Annavarapu Venkateswarlu, S/o. Satyanarayana, Chinaravur.

6. Appikatla Veeraiah, S/o. Narasaiah, Chinaravur.

(अन्तरक)

(2) 1. Ketha Sankara Rao, S/o. V. L. N. Rao, Kavutlapally. Miriyalaguda Taluk, Nalgonda Dt.

2. Ketha Krishna Rao, M/G Father V. L. N. Rao, Kavutlapally, Miriyalaguda Taluk, Nalgonda Dt.

3. Emmadi Narayana, S/o Veeraiah, Nakarakallu, Nalgonda Dt.

4. Gajjala Ramaiah, S/o. Ketaiaha, Nakarakallu.

5. Jaisey Ramalingaiah, S/o. Narayana, Kamalacherovu, Huzurunagar Tq.

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

The schedule property as per sale deed dt. 30-12-74 vide doc. No. 1908 of SRO, Vinukonda for F.N. 31-12-74.

B. V. SUBBA RAO,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, Kakinada.

दिनांक : 2-8-75

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-5, बम्बई

बम्बई, दिनांक 31 जुलाई 1975

निर्देश सं० अ० ई० नं० 5/217/13/74-75—अतः मुझे, जे० एम० मेहरा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० नं० 82 सी० टी० एस० नं० 422 और 428 (अंश) है, जो व्हिलेज देवनार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-12-1974

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण का लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मालती जाल अरदेशीर नवरोजी (अन्तरक)

(2) श्री स्वर्ना दिनेशचन्द्र पटेल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बम्बई उपनगर जिला और अभी बृहत्तर बम्बई में रजिस्ट्रेशन उप-जिला बान्द्रा, विशेषकर बम्बई नगर और उपनगर के गांव देवनार (देवनारम के नाम से ज्ञात) पहले तालुका कुरला में स्थित वह सभी भूभाग या भूस्थल या भूखंड जो सर्वेक्षण नं० 82 और सी० टी० एस० नं० 427 और 428 (अंश) की भूमिका एक भाग बनाता है माप में 823.58 वर्ग मीटर (अर्थात 985 वर्ग गज) हैं और इस प्रकार घिरा हुआ है अर्थात उत्तर की ओर से 15 फीट चौड़े रास्ते द्वारा, दक्षिण की ओर से सर्वेक्षण नं० 82 की जमीन के बाकी बचे हुए भाग द्वारा पश्चिम की ओर से 44 फीट चौड़े मार्ग द्वारा और पूर्व की ओर से सर्वेक्षण नं० 82 की जमीन के बाकी बचे हुए भाग द्वारा।

जे० एम० मेहरा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-5, बम्बई।

तारीख : 31-7-1975

मोहर :

7—216GI/75

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नागपुर

नागपुर, दिनांक 19 जुलाई 1975

निर्देश सं० आय० ए० सी०/ए० सी० क्यू०/37-अ०/75-76—यतः मुझे, डी० रामाराव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी गोदाम सं० 9, म्यूनिसिपल सं० 3833 (पुरानी) और नयी सं० 3766 है तथा जो नया मौदा, जालना में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 24-12-1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री ललित प्रसाद सुपुत्र बाला प्रसाद जैस्वाल (अन्तरक)

(2) श्री नंदकिशोर सुपुत्र छगनराव खेंडकर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जो गोदाम बेचा गया है उसका क्षेत्रफल (एरिया) 120'—33' है। इसमें से 22'—14' के एरिया पर छत पड़ी हुई है, 15'—31' के एरिया में टीन की छत पड़ी है और शेष भाग में आँगन है। गोदाम जिस सड़क पर स्थित है वह सड़क मौदा रोड, जालना, जिला औरंगाबाद है।

डी० रामाराव,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, नागपुर।

तारीख : 19 जुलाई 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कोच्चिन-II

कोच्चिन-II दिनांक 13 अगस्त 1975

निदेश सं० एल० सी० सं० 45/75-76—यतः, मुझे एम० एम० कुरूप्
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० संलग्न अनुसूची के अनुसार है तथा जो पालक्काट के कषणि असम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आलत्तूर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-11-1974
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती जानकि अम्मा, रामन नायर के पुत्री, मन्नत्तु हौस, आलत्तूर । (अन्तरक)

2. श्री के० एम० आरुमुगन, मुरुगन के पुत्र, कारक्काट वीड, आलत्तूर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

पालक्काट जिला, आलत्तूर के कषणि असम के सं० सं० 50/2 और 50/10 में स्थित 1 एकड़ 42 सेन्ट्स् भूमि तथा मकान ।

एम० एम० कुरूप्,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, एरणाकुलम ।

तारीख: 13-8-1975
मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 4th July 1975

No. A. 32016/2/75-Admn. II.—Shri B. R. Gupta, a permanent Assistant Superintendent (Hollerith) in the office of the Union Public Service Commission has been appointed to officiate as Superintendent (Hollerith) for a period of 46 days with effect from the 16th June, 1975 to the 31st July, 1975 or until further orders, whichever is earlier vice Shri M. L. Dhawan, Superintendent (Hollerith) granted leave.

P. N. MUKHERJEE
Under Secretary
for Secretary
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 1st July 1975

No. A-32014/1/74-Admn. I.—Shri P. P. Sikka, a permanent Grade II officer of the CSSS cadre of the Union Public Service Commission, who was appointed to officiate on a purely ad-hoc basis in grade I of the service vide this Office Notification of even number dated the 31st March, 1975 has been reverted to Grade II of the same service in the same cadre with effect from the afternoon of 2nd June 1975.

No. A-32014/1/74-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri P. P. Sikka, permanent Personal Assistant (Grade II of CSSS) of the cadre of Union Public Service Commission, to officiate as Senior Personal Assistant (Grade I of CSSS) in the same cadre on purely temporary and ad-hoc basis for a period of 3 months with effect from 4th June 1975 (F.N.) to 3rd September 1975 or until regular arrangements are made, whichever is earlier.

2. Shri P. P. Sikka should note that his appointment as Senior PA (Grade I of CSSS) is purely temporary and on ad-hoc basis and will not confer on him any title for absorption in Grade I of CSSS or for seniority in that grade.

The 5th July 1975

No. P-1825-Admn. I.—Dr. B. Bhattacharya, formerly a lecturer in the College of Agriculture, University of Calcutta and at present working as Under Secretary, in the office of the Union Public Service Commission has been relieved of his duties in the office of the Union Public Service Commission with effect from the afternoon of the 5th July, 1975.

The 24th July 1975

No. A-32014/1/74-Admn. I.—Shri S. P. Mehra, a permanent Grade II officer of the CSSS Grade of the Union Public Service Commission, who was appointed to officiate on a purely ad-hoc basis in Grade I of the service vide this Office Notification of even number dated the 31st March, 1975 has been reverted to Grade II of the same service in the same cadre with effect from the afternoon of 31st May 1975.

No. A-32014/1/74-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri S. P. Mehra, permanent Personal Assistant (Grade II of CSSS) of the cadre of Union Public Service Commission, to officiate as Senior Personal Assistant (Grade I of CSSS) in the same cadre on a purely temporary and ad-hoc basis for a period of 91 days with effect from 2nd June 1975 to 31st August 1975, or until further orders, whichever is earlier.

2. Shri S. P. Mehra should note that his appointment as Senior Personal Assistant (Grade I of CSSS) is purely temporary and on ad-hoc basis and will not confer any title for absorption in Grade I of Central Secretariat Stenographers' Service or for seniority in that Grade.

No. A-32014/1/75-Admn. I.—The President is pleased to allow Shri M. C. Khorana, officiating Senior Personal Assistant (Grade I of CSSS) in the cadre of the Union Public Service Commission, who was appointed to officiate as Private Secretary (Selection Grade of the CSSS) on a temporary and ad-hoc basis, for a period of 3 months with effect from 1st March 1975 to 31st May 1975 vide Notification of even number dated the 17th March, 1975, to continue to officiate in the same capacity on a purely temporary and ad-hoc basis for a further period from 1st June 1975 to 31st August 1975 or until further orders, whichever is earlier.

The 26th July 1975

No. A. 32013/1/75-Admn. I.—Shri T. N. Channa, a permanent officer of the Section Officer's Grade of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, appointed to officiate in Grade I of the Service and Under Secretary, Union Public Service Commission vide this office Notification No. A. 32013/1/75-Admn. I dated the 1st July, 1975 relinquished charge of the office of Under Secretary, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 5th July, 1975.

2. On his reversion, Shri T. N. Channa resumed charge of the office of Section Officer, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 5th July, 1975.

P. N. MUKHERJEE
Under Secretary
Union Public Service Commission

CABINET SECRETARIAT
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-1, the 30th July 1975

No. A-19036/11/75-Ad. V.—The Director, C.B.I. and Inspector General of Police, S.P.E. hereby appoints Shri S. B. Purkayastha, a deputationist Inspector from Assam State Police as Deputy Supdt. of Police in the C.B.I./S.P.E. with effect from the forenoon of 21st July 1975 until further order.

The 1st August 1975

No. A-19036/12/75-AD. V.—The Director, CBI and Inspector General of Police, S.P.E. hereby appoints Shri S. R. Khankhoje, Inspector of Police of Maharashtra State as Dy. Supdt. of Police in the Central Bureau of Investigation,/ S.P.E. on deputation with effect from the Afternoon of 16th July 1975 until further orders.

G. L. AGARWAL
Administrative Officer (E)
C.B.I.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-1, the 30th July 1975

No. F. 3/22/74-Estt. (CRPF).—The President is pleased to appoint on promotion on ad-hoc basis, Shri B. K. Sehgal, Asstt. Commandant (Staff Officer to the IGP S/III) as Commandant in the CRP Force until further orders.

2. Shri B. K. Sehgal handed over charge of the post of Assistant Commandant/Staff Officer to the IGP S/III, CRPF on the forenoon of 14th July, 1975 and took over charge of the post of Assistant Director (Trg.), in the Dte. Genl., CRPF on the forenoon of 14th July 1975.

The 31st July 1975

No. O.II-772/70-Estt.—Consequent on the acceptance of his resignation, Dr. P. Ramachandra Rao relinquished charge of the post of JMO 45th Bn CRPF on the forenoon of 20th March, 1975.

The 1st August 1975

No. O.II-569/69-Estt.—Consequent on his attaining the age of superannuation Shri Mangi Lal Dy. SP, GC CRPF, Deoli (Raj) has relinquished charge of his post in the afternoon of 16th June, 1975.

No. O.II-840/72-Estt.—Consequent on the acceptance of his resignation, Dr. Shuaib Hussain relinquished charge of the post of JMO 51st Bn CRPF on the forenoon of 25th May, 1975.

No. O.II-910/73-Estt.—Consequent on the acceptance of his resignation, Dr. Vishwanath Puli relinquished charge of the post of JMO, GC CRPF, Nagpur on the forenoon of 20th March, 1975.

No. O.II-1012/75-Estt.—Consequent on the acceptance of his resignation, Dr. Shiv Chandra Mathur relinquished charge of the post of JMO, GC CRPF, Deoli (Raj) on the afternoon of 3rd July, 1975.

A. K. BANDYOPADHYAY
Assistant Director (Adm.)

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 22nd July 1975

No. E-38013(3)/11/75-Ad. I.—Shri R. K. Bhagat, Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit Bombay Airport, with Headquarters at New Delhi relinquished the charge of the post with effect from the Forenoon of 1st July 1975 and assumed the charge of the post of Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Bharat Heavy Electricals Limited (Hardwar) with Headquarters at New Delhi with effect from the same date.

The 31st July 1975

No. E-38013(1)/1/75-Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri Raja Sreedharan, IPS (MP-1957), to the post of Deputy Inspector General, Central Industrial Security Force, Bhilai Steel Plant, Bhilai-1 with effect from the Forenoon of 18th July 1975 vice Shri S. V. Singh, IPS (MP-1955) who relinquished the charge of the said post with effect from the forenoon of the same date, on transfer to New Delhi.

L. S. BISHT
Inspector General

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, 2nd August 1975

No. P/B(23)-Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri S. N. Banerji, an officer of the Uttar Pradesh Civil Service, as Deputy Director of Census Operations, Uttar Pradesh, in a temporary capacity with effect from the afternoon of 17 July 1975 until further orders.

The headquarters of Shri Banerji will be at Lucknow.

R. B. CHARI
Registrar General, India and
ex-officio Jt. Secy.

New Delhi-110011, the 31st July 1975

No. 2/1/75-RG(Ad. I).—The President is pleased to continue the ad-hoc appointment of Shri Ardaman Singh, as Deputy Director of Census Operations, Haryana for a further period of three months with effect from the afternoon of 18 July, 1975 or until further orders, whichever is earlier.

BADRI NATH
Deputy Registrar General, India &
ex-officio Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS) BANK NOTE PRESS

Dewas (MP), the 29th July 1975

F. No. BNP/C/72/74.—The recruitment rules having been finalised, the officiating appointment of Shri R. V. K. Chari, IOW (W.S.), Bhusaval, Central Railway as Asstt. Engineer (Civil) in the Bank Note Press, Dewas is continued on a regular basis with effect from 20th March 1975 (FN) to 23rd July 1976 (AN).

D. C. MUKHERJEA,
General Manager,

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, CENTRAL REVENUES

New Delhi, the 30th July 1975

Admn. O.O. No. 278.—The Accountant General has appointed substantively the following officiating Accounts Officers of this office, against permanent posts of Accounts Officers, in the time scale of Rs. 840—1200, w.e.f. the dates shown against their names :—

Name and Date of substantive appointment as Accounts Officer

1. Shri H. R. Choudhury—1-3-73 F.N.
2. Shri A. P. Mandal—1-3-73 F.N.
3. Shri M. L. Behl—1-3-73 F.N.
4. Shri R. C. Bansil—1-3-73 F.N.
5. Shri S. S. Gupta—9-4-73 F.N.
6. Shri Sri Krishna—20-8-73 F.N.
7. Shri Avtar Singh—1-3-74 F.N.
8. Shri J. P. Sinha—1-3-74 F.N.
9. Shri R. N. Maitra—1-3-74 F.N.
10. Shri K. C. Mehra—1-3-74 F.N.
11. Shri Sunder Dass—1-3-74 F.N.

Admn. O.O. No. 279.—The Accountant General, has appointed substantively the following officiating Accounts Officers of the Office of the Comtproller and Auditor General of India, allotted proforma to this office against the supernumerary permanent posts of Accounts Officers in the time scale of Rs. 840—1200 w.e.f. the dates shown against their names :

Name & Date from which appointed substantively as Accounts Officer

1. Shri J. R. Sharma—21st May 1972 F.N.
2. Shri S. D. Kaushal—21st May 1972 F.N.
3. Shri R. L. Kumar—21st May 1972 F.N.
4. Shri B. R. Agnihotri—20th August 1973. F.N.
5. Shri M. S. Bedi—1st March 1974 F.N.
6. Shri M. Duraiswamy—1st March 1974 F.N.
7. Shri P. N. Mehta—1st March 1974 F.N.

The 31st July 1975

No. Admn-I/P.F./P.D. Aggarwal/1006.—Consequent upon his attaining the age of Superannuation (58 years), Shri P. D. Aggarwal a permanent Accounts Officer of this office retired from Govt. Service w.e.f. 31st July 1975 AN.

His date of birth is 6th July 1917.

The 4th August 1975

No. Admn.I/PF/S.S.Kaura/1062.—The Accountant General has accepted the resignation tendered by Shri S. S. Kaura, an officiating Accounts Officer of this office, w.e.f. 1st August 1975 F.N., on the expiry of his leave granted to him from 15th July 1975 to 31st July 1975.

H. S. DUGGAL,
Senior Dy. Accountant General (Admn)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, JAMMU AND KASHMIR

Srinagar, the 25th June 1975

No. Admn.I/4(26)/72-74/1074.—The Accountant General, Jammu and Kashmir, has appointed S/Shri M. L. Nadir, J. N. Babu, S. S. Dhar and B. N. Kaul, officiating Accounts Officers, in a substantive capacity in the Accounts Officers cadre with effect from 1st February 1975, 1st March 1975, 1st June 1975 and 1st June 1975 respectively.

P. K. BOSE,
Sr. Dy. Accountant General (A&E)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi, the 30th July 1975

No. 40011(2)/74-AN-A.—(1) Having given notice of voluntary retirement from service under the provisions of Rule 48 of Central Civil Service (Pensions) Rules 1972, Shri K. Sitaramiah, Officiating Accounts Officer (Roster No. 0/57) who was serving in the organisation of the Controller of Defence Accounts (Air Force), Dehra Dun, was transferred to pension establishment with effect from the forenoon of 10th April 1975.

Shri Sitaramiah was granted earned leave from 10th April 1975 to 16th April 1975.

(2) Shri G. D. Roy, Permanent Accounts Officer (Roster No. P/514) serving in the organisation of the Controller of Defence Accounts (Factories), Calcutta will be transferred to the pension establishment with effect from the afternoon of 30th September 1975 on attaining the age of superannuation.

The 4th August 1975

No. 3250/AN-II.—On attaining the age of 58 years Shri S. G. Dube, Controller of Defence Accounts, Central Command, will be transferred to the pension establishment and struck off the strength of the department from the afternoon of 31-10-1975.

S. K. SUNDARAM,
Addl. Controller General of Defence Accounts (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR

DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY

Dhanbad, the 4th August 1975

No. 2A(3)/74-Adm.I/13147.—Shri Vinod Kumar Jain has been appointed as Assistant Director of Mines Safety in the Directorate General of Mines Safety on probation for two years with effect from the forenoon of 13th March, 1975, and posted at Ghaziabad Sub-Region, Ghaziabad.

S. S. PRASAD, Director-General
of Mines Safety

COAL MINES LABOUR WELFARE ORGANISATION

Jagjiwannagar, the 30th July 1975

No. Adm.44(24)73.—Consequent on the acceptance of his resignation, Shri S. K. Bahl, Assistant Engineer (PH), Coal Mines Welfare Works, Dhanbad relinquished charge on the afternoon of 2nd June 1975.

R. P. SINHA,
Coal Mines Welfare Commissioner

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL
(ESTABLISHMENT)

New Delhi, the 1st August 1975

No. 6/470/57-Admn(G)/9317.—The President is pleased to appoint Shri S. Balakrishna Pillai, Controller in the Office of the Deputy Chief Controller of Imports and Exports, Ernakulum as Deputy Chief Controller of Imports and Exports, Ernakulum for a period of 47 days, from 12th May 1975 to 27th June 1975.

No. 6/353/56-Admn(G)/9321.—The President is pleased to appoint Shri K. M. R. Menon, Controller Class-I in the Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Madras as Dy. Chief Controller of Imports and Exports in that office for the period from 16th April, 1975 to 17th June, 1975 vice Shri Y. G. Parthasarthy granted leave.

B. D. KUMAR, Chief Controller
of Imports and Exports

New Delhi, the July 1975

No. 6/1051/74-Admn(G)/9240.—The Chief Controller of Imports and Exports hereby appoints Shri Chandra Parkash, Assistant Aerodram Officer in the Director General of Civil Aviation, Safdarjung Airport, New Delhi, as Controller of Imports and Exports Class-II (Non-CSS) in the Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Central Licensing Area, New Delhi, in an officiating capacity with effect from the forenoon of 7th July, 1975, until further orders.

2. As Controller of Imports & Exports, Shri Chandra Parkash will draw pay according to rules in the scale of Rs. 650—30—740——35—810—EB—35—880—40—1000— EB —40—1200.

The 29th July 1975

No. 6/1051/74-Admn(G)/024.—The Chief Controller of Imports and Exports hereby appoints Shri L. M. Lakra, Research Assistant in the Central Hindi Directorate, Ministry of Education and Social Welfare, New Delhi, as Controller of Imports and Exports Class-II (Non-CSS) in the Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta, in an officiating capacity with effect from the forenoon of 10-7-1975, until further orders.

2. As Controller of Imports and Exports, Shri L. M. Lakra will draw pay according to rules in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000— EB —40—1200.

A. T. MUKHERJEE, Dy. Chief Controller
of Imports & Exports
for Chief Controller
of Imports & Exports

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-20, the 2nd August 1975

No. EST-I-2(454).—Shri K. S. Bhujang, Director (CP & Dyeing) in the office of the Textile Commissioner, Bombay, retired from Service with effect from the afternoon of the 30th June, 1975 on attaining the age of superannuation.

No. EST.I-2(651).—The President is pleased to appoint with effect from the forenoon of the 21st May, 1975 and until further orders, Shri K. V. C. Rao as Deputy Director (Prices) (Grade III of the Indian Economic Service) in the Office of the Textile Commissioner, Bombay.

R. P. KAPOOR, Textile Commissioner

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 1st August 1975

No. A.19018/196/75-Admn(G).—The Development Commissioner, Small Scale Industries, is pleased to appoint Shri Sushil Kumar, (a quasi permanent Small Industry Promotion Officer), in the office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi, to officiate as Assistant Director (Grade II) L/F in the Small Industries Service Institute, Ludhiana, until further orders. He assumed charge as Assistant Director (Grade II) in the Small Industries Service Institute, Ludhiana in the Forenoon of 7th July, 1975.

No. A.19018/195/75-Admn(G).—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Development Commissioner, Small Scale Industries, is pleased to appoint Shri A. S. Dutt (quasi-permanent Investigator), a temporary Small Industry Promotion Officer (Metal Finishing) in Small Industries Service Institute, Bombay, to officiate as Assistant Director (Grade II) in the same Institute. Shri A. S. Dutt assumed charge as Assistant Director (Grade II) in the forenoon of 23rd June, 1975.

K. V. NARAYANAN, Director (Admn.)

DEPARTMENT OF SUPPLY
DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS
(Administration Section A-1)

New Delhi-1, the 29th July 1975

No. A-1/1(866).—The President is pleased to appoint Shri P. K. Majumder, Section Officer of the CSS in the DGS&D, New Delhi to officiate as Assistant Director (Sales Tax) (Grade I) in the same Directorate General at New Delhi with effect from 10th July, 1975 (F.N.) and until further orders.

No. A-1/1(1011).—The Director General of Supplies & Disposals, New Delhi hereby appoints Shri B. K. Behal, Superintendent in the office of the Director of Supplies (Textiles), Bombay to officiate on ad-hoc basis, as Assistant Director (Grade II) in the same office at Bombay with effect from the forenoon of 1st July, 1975 and until further orders.

2. The appointment of Shri Behal as Assistant Director (Grade II) is purely temporary and subject to the result of Civil Writ Petition No. 739/71 filed by Shri M. Kuppuswamy in the High Court of Delhi.

No. A-1/1(1026).—The Director General, Supplies & Disposals hereby appoints Shri K. L. Sethi, Junior Field Officer in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi, to officiate on ad-hoc basis as Assistant Director of Supplies (Grade II) in the same Directorate General at New Delhi with effect from the forenoon of 16th July, 1975 and until further orders.

2. The appointment of Shri K. L. Sethi as Assistant Director (Grade II) is purely temporary and subject to the result of civil Writ Petition No. 739/71 filed by Shri M. Kuppuswamy in the High Court of Delhi.

The 30th July 1975

No. A-1/1(999).—The President is pleased to appoint Shri Lechman Singh on selection through the Union Public Service Commission to officiate as Assistant Director (Litigation) (Grade I) in the Directorate General of Supplies and Disposals New Delhi with effect from the forenoon of 18th July, 1975 and until further orders.

K. L. KOHLI, Dy. Director (Admn.)

New Delhi-1, the 29th July 1975

No. A-1/1(560).—Shri R. K. Balaram, permanent Superintendent and officiating as Assistant Director (Grade II) in the office of the Director of Supplies and Disposals, Madras retired from Government service with effect from the afternoon of 30th June, 1975 on attaining the age of superannuation (58 years).

(ADMINISTRATION SECTION A-6)

The 2nd August 1975

No. A-6/247(58)/57/II.—The President has been pleased to appoint Shri N. C. Aich, Inspecting Officer in Engineering Branch of Grade III of the Indian Inspection Service Class I to officiate as Dy. Director of Inspection in Engineering Branch of Grade II of the service with effect from the forenoon of the 14-7-75 and until further orders.

Shri M. C. Aich relinquished charge of the post of Inspecting Officer (Engg.) and assumed charge of the post of Dy. Director of Inspection (Engg). in the Calcutta Inspection Circle, in the forenoon of the 14th July, 1975.

K. L. KOHLI, Dy. Director (Admn.)
For Director General
of Supplies & Disposals.

MINISTRY OF STEEL AND MINES
(DEPARTMENT OF MINES)
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-13, the 26th July 1975

No. 2251(GPS)/19B.—Shri G. P. Shah, Driller, Geological Survey of India relinquished charge of his post in the Geological Survey of India with effect from the afternoon of the 7th July, 1973 for deputation to the Mineral Exploration Corporation Limited.

V. K. S. VARADAN, Director General

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 1st August 1975

No. A-19011(10)/70-Estt.A.—On reversion from the post of Senior Specialist (Mineral) in the Planning Commission, Shri M. C. Basu Rai Choudhary has reported for duty as Superintending Mineral Economist in this department with effect from the forenoon of 30th June, 1975.

The 2nd August 1975

No. A-19012(7)/70-Estt.A.—The promotion of Shri D. N. Ghare on ad-hoc basis to the post of Librarian vide Memorandum of even number dated 1st May 1975, stands terminated on the forenoon of 1st July, 1975.

A. K. RAGHAVACHARY,
Sr. Administrative Officer,
for Controller

SURVEY OF INDIA

Dehra Dun, the 25th July 1975

No. C-4975/579-A—The undermentioned officers who were appointed to officiate as Establishment and Accounts Officers (GCS Class II) are confirmed in their appointment with effect from the date noted against each :—

Name of the officers	Date of confirmation	Remarks
1. Shri S. K. Majumdar	1-7-72	*Vice* Shri P. C. Sharma retired.
2. Shri B. R. Pant	26-10-72	In an existing vacancy.
3. Shri S. K. Banerjee (Since retired w.e.f. 31-12-74 AN)	1-3-73	*Vice* Shri K. P. Chakravarti retired.
4. Shri A. K. Das Sharma	1-3-73	*Vice* Shri M. N. Das Gupta retired.
5. Shri Karunamoy Mukherjee	1-1-75	*Vice* Shri S. K. Banerjee retired.

HARI NARAIN, Surveyor General of India
(Appointing Authority.)

Dehradun, the 6th August 1975

No. E1-4979/913-H.—In continuation of this office Notification No. E1-4940/913-H dated 4th March, 1975, the ad-hoc appointment of Shri R. K. Chamoli, Hindi Officer of the Surveyor General's Office is further extended up to 30th June, 1976 or till the post is filled on a regular basis whichever is earlier.

HARI NARAIN, Surveyor General

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 2nd August 1975

No. 1/5/73-Ant.—In order to expedite the passing of articles, objects or things of export, which are not antiquities, under the Antiquities (Export Control) Act. 1947. The Director General of Archaeological Survey of India hereby sets up a Committee of Experts at Varanasi. The members of this committee will be as under :—

Convener

(1) Superintending Archaeologist,
Eastern Circle, Patna (Bihar).

Alternate Convener

(2) Assistant Superintending Archaeologist
for Museums,
Eastern Zone,
Sarnath (U.P.)

Members

(3) Prof. Lallanji Gopal,
Banaras Hindu University,
Varanasi (U.P.)

(4) Dr. N. P. Joshi,
Director of Museums,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow (U.P.)

N. B. BANERJEE, Director (Antiquities)
for Director General

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 31st July 1975

No. 12/10/74-Vig.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri Nabin Chandra Saikia, Extension Officer, (Agri). Department of Agriculture, Assam as Farm Radio Officer, in All India Radio, Gauhati with effect from the forenoon of the 8th July, 1975 in a temporary capacity until further orders.

No. 15/2/72-Vig.—Consequent on his appointment to the post of Assistant Station Director in All India Radio, Shri S. N. Sadhu, relinquished the charge of the post of Extension Officer, Family Planning at Radio Kashmir, Srinagar, on the forenoon of 18th June, 1975.

No. 12/3/72-Vig.—Smt. A. N. Parimala relinquished charge of the post of Farm Radio Officer (Home) in the Directorate General, All India Radio, New Delhi on 21st July, 1975 (forenoon) on reversion to the Department of Agriculture and Forest, Government of Karnataka, Bangalore.

HARJIT SINGH, Dy. Director Admn.
for Director General

New Delhi, the 31st July 1975

No. 4(42)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Rakesh Kumar Jain as Programme Executive, All India Radio, Ahmedabad in a temporary capacity with effect from the 11th July, 1975 and until further orders.

No. 4(85)/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Farooq Nazaki as Programme Executive, Television Centre, All India Radio, Srinagar in a temporary capacity with effect from the 20th June, 1975 and until further orders.

The 4th August 1975

No. 4(23)/64-SI.—On the expiry of leave preparatory to retirement granted to him from 7th July 1975 to 31st October, 1975, Shri B. L. Malhotra, Programme Executive, All India Radio, Indore will retire from service with effect from the afternoon of 31st October, 1975.

No. 5(55)/67-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri S. P. Govardhan, Transmission Executive, All India Radio, Hyderabad as Programme Executive, All India Radio, Trichurapalli in a temporary capacity with effect from the 19th July, 1975 and until further orders.

SHANTI LAL, Dy. Director of Admn.
for Director General

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st August 1975

No. 2/4/74-SIII.—The name appearing against Sl. No. 4 of this Directorate Notification of even number dated 17th/21st March, 1975 may please be *read* as Shri P. S. Khurana *instead of* Shri P. C. Khurana.

P. K. SINHA,
Dy. Director of Administration,
for Director General

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 6th May 1975

No. 16-9/75-SI.—Consequent on the acceptance of his resignation, Dr. Ashit Ranjan Roy, Assistant Director (Pharmacology), Biological Laboratory and Animal House, Govt. Medical Store Depot, Madras relinquished the charge of his post in the afternoon of 31st March 1975.

SANGAT SINGH
Dy. Director Administration (Stores)

New Delhi, the 31st July 1975

No. 31-4/74-CGHSI.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri M. A. Samad to the post of Unani Physician in the Central Government Health Scheme under this Directorate, on a regular basis with effect from the forenoon of the 31st December, 1974, and until further orders.

I. D. BAJAJ
Dy. Director General (CGHS)

New Delhi, the 30th July 1975

No. 58-1/74-CHS.I.—Consequent on his transfer from the Airport Health Organisation, Delhi Airport, Palam, Dr. Ashok Kumar assumed charge of the post of Junior Medical Officer (G.D.O. Grade II) in the Rural Health Training Centre, Najafgarh (Delhi) on the forenoon of the 27th February, 1975 on an *ad-hoc* basis.

The 2nd August 1975

No. 35-1/75-CHS.I.—Consequent on her transfer Dr. (Miss) Indrani Singh an officer of G.D.O. Grade II of the C.H.S. relinquished charge of the post of Junior Medical Officer under the C.G.H.S. New Delhi on the forenoon of the 3rd July, 1975 and assumed charge of the post of G.D.O. Grade II of the C.H.S. in the Safdarjang Hospital, New Delhi on the forenoon of the 3rd July, 1975 in the same capacity and on the existing terms and conditions.

R. N. TEWARI
Dy. Director Administration (CHS)

New Delhi, the 1st August 1975

No. 1-11/73Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri T. P. Das, Assistant Director of Census Operations (Technical), Bihar, to the post of Assistant Professor of Statistics at the All India Institute of Hygiene & Public Health, Calcutta in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 11th July, 1975, and until further orders.

2. Shri D. K. Basu relinquished charge of the post of Assistant Professor of Statistics, All India Institute of Hygiene & Public Health, Calcutta with effect from the same date.

The 6th August 1975

No. 35-5/75-Admn.I(DGHS).—The President is pleased to appoint Miss J. Haider Ali, Assistant Nursing Superintendent, Willingdon Hospital, New Delhi to the post of Nursing Superintendent at the same Hospital with effect from the forenoon of the 19th May, 1975 to the 3rd July, 1975 in the leave vacancy of Smt. B. Thakurdas.

S. P. JINDAL
Dy. Director Administration (O&M)

PRE-INVESTMENT SURVEY OF FOREST RESOURCES

Dehra Dun, the 30th July 1975

No. 4-7/71-Adm.(Vol.II).—The services of Shri P. L. Bhatia, a permanent Accounts Officer of the Defence Accounts Service, who was on deputation as Accounts Officer in the Preinvestment Survey of Forest Resources, Dehra Dun, are replaced at the disposal of the Controller General of Defence Accounts Services with effect from the afternoon of 25th July, 1975 on completion of his deputation period.

ROMESH CHANDRA
Chief Coordinator

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION
(NARORA ATOMIC POWER PROJECT)

Bombay-5, the 14th July 1975

No. NAPP/2(5)/74-Adm/2439.—Consequent on his promotion as Security Officer in the Narora Atomic Power Project at Narora, Shri P. S. Ghevarghese, a temporary Assistant Security Officer relinquished charge of his post in the Power Projects Engineering Division at Bombay on the afternoon of October 3, 1974 and assumed charge of the post of Security Officer in the Narora Atomic Power Project at Narora on the forenoon of October 7, 1974.

2. Shri P. S. Ghevarghese shall continue to hold of his post of Security Officer in NAPP until further orders.

R. J. BHATIA
General Administrative Officer

(ATOMIC MINERALS DIVISION)

Hyderabad-500016, the 23rd July 1975

No. AMD-2/449/57-Adm.—In substitution of this Division Notification of even number dated 30th May, 1975, the Director, Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy hereby appoints Shri R. C. Sud, Officiating Superintendent in the Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy to officiate as Assistant Personnel Officer in the same Division with effect from 8th May 1975 to 14th July 1975.

S. RANGANATHAN
Sr. Administrative & Accounts Officer

DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400001, the 25th July 1975

No. DPS/A/32011/2/75/Est./1503.—In continuation of this Directorate notification of even number dated May 30, 1975 the Director, Purchase & Stores appoints Shri Babubhai Mohanlal Ganatra (a permanent Assistant Accountant and officiating Accountant in Western Railway, now on deputation to this Directorate in the same capacity) to officiate as Assistant Accounts Officer in the same Directorate with effect from 7th June 1975 (AN) to 29th August 1975 (AN).

No. DPS/A/32011/2/75/Est./1507.—In continuation of this Directorate notification of even number dated May 31, 1975, Director, Purchase and Stores appoints Shri Gajanan Laxmanrao Haldipur, a permanent Assistant Accountant and officiating Assistant Accounts Officer of this Directorate to officiate as Accounts Officer (II) in the same Directorate with effect from 7th June, 1975 (AN) to 11th June 1975 (AN).

K. P. JOSEPH
Administrative Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 040, the 26th July 1975

No. NFC/Amn/22/13(1)/993.—The Officer-on-Special Duty, Nuclear Fuel Complex, appoints Shri Ch. V. S. S. N. Sarma, Stenographer (Sr.) to officiate as Assistant Personnel Officer in the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad for a period from 24th June 1975 to 28th July 1975, or until further orders, whichever is earlier.

U. VASUDEVA RAO
Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 30th July 1975

No. A. 31013/2/75-EH.—The President is pleased to appoint Shri G. R. Kathpalia, officiating Deputy Director General in a substantive capacity in the grade

of Director of Air Safety in the Civil Aviation Department with effect from the 1st March, 1975.

T. D. DHAWAN
Asstt. Director of Administration

New Delhi, the 4th August 1975

No. A-19013/17/72-E(H).—On attaining the age of superannuation Shri Jugindar Singh retired from Government service and relinquished charge of the office of the Director of Air Routes & Aerodromes (Planning) in Civil Aviation Department, on the afternoon of the 31st July, 1975.

T. S. SRINIVASAN
Asstt. Director of Administration

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 29th July 1975

No. 1/364/75-EST.—Shri S. K. Patranabis, Technical Assistant, Calcutta Branch is appointed as Assistant Engineer in an officiating capacity in the same Branch with effect from the forenoon of the 12th May, 1975 and until further orders.

P. G. DAMLE
Director General

Bombay, the 29th July 1975

No. 1/362/75-EST.—The Director General, Overseas Communications Service hereby appoints Shri S. S. Mitra, Offg. Technical Assistant, Calcutta Branch as Assistant Engineer in an officiating capacity in the same Branch for the period from the 24th February 1975 to 12th April, 1975 (both days inclusive), against a short-term vacancy.

The 30th July 1975

No. 1/265/75-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri C. D. Souda Assistant Supervisor, Calcutta Branch as Supervisor in an officiating capacity in the same Branch for the period from 21st April 75 to 5th July 1975 (both days inclusive) against a short-term vacancy.

No. 1/361/75-EST.—The Director General, Overseas Communications Service hereby appoints Shri B. R. Kamble, Offg. Technical Assistant, Poona Branch as Assistant Engineer in an officiating capacity in the same Branch for the period from 3rd March 1975 to 21st June 1975, (both days inclusive), against a short-term vacancy.

No. 1/366/75-EST.—The Director General Overseas Communications Service hereby appoints Shri R. S. Kureel, Offg. Technical Assistant, New Delhi Branch as Assistant Engineer in an officiating capacity is the same Branch for the period from 1st April 1975 to 30th June 1975 (both days inclusive), against a short-term vacancy.

M. S. KRISHNASWAMY
Administrative Officer,
For Director General.

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Guntur, the 11th June 1975

CENTRAL EXCISE, ESTABLISHMENT

No. 5.—Shri C. Koteswara Rao, Officiating Superintendent of Central Excise, Class II, I.D.O. Ongole has retired from service with effect from 31st May, 1975 A. N. on attaining the age of superannuation.

I. J. RAO
Collector

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-22, the 31st July 1975

No. A-12017/1/72-Adm.V.—In continuation of this Commission's notification No. A-12017/1/72-Adm.V. dated the 21st May, 1975, the Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri T. P. Yegnan, to officiate in the grade of Assistant Research Officer (Scientific-Mathematics Group) in the Central Water and Power Research Station, Poona, in the scale of Rs. 650—30—740—35—810— EB —35—880—40—1000— EB —40—1200, on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for a furthtr period from 1st June, 1975 to 30th September, 1975, ir till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

No. 19012/503/75-Adm.V.—The Chairman, Central Water Commission, with effect from the above date and Supervisor to officiate in the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer/Assistant Research Officer (Engg.) in the Central Water Commission on a purely temporary and adhoc basis in the scale of Rs. 650—30—740—35—810— EB —35—880—40—1000— EB —40—1200, with effect from the forenoon of 13th June, 1975.

Shri Kannan took over charge of the office of Assistant Engineer, Mechanical Sub-Division, Central Water Commission, Vijayawada Andhra Pradesh, Central Water Commission, hereby appoints Shri N. K. Kannan time.

K. P. B. MENON, Under Secy.
for Chairman, C.W. Commission

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX (ACQUISITION RANGE III)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th August 1975

No. 1/F.No. IAC.Acq.III/SR.III/June II/74-75.—In the notice under Section 269D(1) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) issued under F. No. IAC. Acq. III/SR.III/June II/74-75/7089 from the office of the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range III, New Delhi and published in the Gazette of India, Part III Section 1 dated March 29, 1975 Chaira 8, 1897) at page 2468 the following may be inserted :—

"In paragraph 1 line 10th *for* 'February, 1975' *read* '21st Febrnary, 1975'.

and

In paragraph 2 in the penutimate line *for* 'February, 1975' *read* '21st February, 1975'.

S. C. PARIJA, Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acq. Range III, New Delhi.

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Indo-German Engineering Company Private Ltd.

Madras-6, the 30th July 1975

No. DN/3528/560(3)/75.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Indo-German Engineering Company Private Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Sri Ram Screw and Metal Industries Private Ltd.

Madras-6, the 30th July 1975

No. DN/3654/560(3)/75.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Sri Ram Screw and Metal Industries Private Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Citadel Film Corporation Private Ltd.

Madras-6, the 30th July 1975

No. DN/3739/560(3)/75.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Citadel Film Corporation Private Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Sri Saru Transports Private Ltd.

Madras-6, the 30th July 1975

No. DN/4131/560(3)/75.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Sri Saru Transports Private Ltd. unless cause is shown to contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. N. K. Mani and Company Private Ltd.

Madras-6, the 30th July 1975

No. DN/4261/560(3)/75.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. N. K. Mani and Company Private Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Sri Tirupurasundari Transports Private Ltd.

Madras-6, the 30th July 1975

No. DN/4357/560(3)/75.— Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Sri Tirupurasundari Transports Private Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Sarvamangala Techno Services Private Limited

Madras-6, the 30th July 1975

No. DN/6260/560(3)/75.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Sarvamangala Techno Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. SRINIVASAN
Assistant Registrar of Companies
Madras-34

Notice under section 560(4) of the Companies Act, 1956

And

In the matter of India Jute Balings Ltd.,
Calcutta, the 1974

No. L/10603/D-714.—Whereas India jute Balings Limited, having its registered office at 23-A, Netaji Subhas Road, Calcutta-1, is being wound up.

And whereas the undersigned has reasonable cause to believe that no liquidator is acting and that statement of accounts (returns) required to be made by the liquidator have not been made for a period of six consecutive months;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (4) of section 560 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), notice is hereby given that at the expiration of three months from the date of this notice the name of India Jute Balings Limited will, unless cause is shown to the countrary, be struck off the register and the company will be dissolved.

N. N. MAULIK
Assistant Registrar of Companies
West Bengal

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Cochin-682016, the 20th June 1975

INCOME-TAX

C. No. 2-Estt/Gaz./Con/75-76.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 117 of the Income-tax Act, 1961 (Act 43 of 1961), I, P. S. Subramanyan, Commissioner of Income-tax, Kerala-I, Ernakulam appoint the undermentioned Inspector of Income-tax to officiate as Income-tax Officer, Class-II in the grade of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, with effect from 23rd June 1975 or from the date he takes over charge whichever is later and until further orders :—

Shri K. C. Thomas,
Inspector of Income-tax,
Income-tax Circle,
Kottayam.

2. He will be on probation for a period of 2 years in terms of later F. No. 22/3/64-Ad.VI dated 25-4-1964 from the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi. The period of

probation may, if found necessary, be extended beyond the above period. His confirmation and/or retention in the post will depend upon his successful completion of the probationary period.

3. This appointment is made on a purely temporary and provisional basis and is liable to termination at any time without notice.

The 1st July 1975

C. No. 2-Estt/Gaz./Con/75-76.—In exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 117 of the Income-tax Act, 1961 (Act 43 of 1961), I, P. S. Subramanyan, Commissioner of Income-tax, Kerala-I, Ernakulam appoint the undermentioned Inspector of Income-tax to officiate as Income-tax Officer, Class-II in the grade of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, with effect from the dates she takes over charge and until further orders :—

Smt. K. Kamala Bai,
Inspector of Income-tax,
I.T. Circle, Trivandrum.

2. She will be on probation for a period of 2 years in terms of letter F. No. 22/3/64-Ad.VI dated 25-4-1964 from the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi. The period of probation may, if found necessary, be extended beyond the above period. Her confirmation and/or retention in the post will depend upon her successful completion of the probationary period.

3. This appointment is made on a purely temporary and provisional basis and is liable to termination at any time without notice.

P. S. SUBRAMANYAN
Commissioner of Income-tax, Kerala-I,
Ernakulam

INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Bombay-20, the 30th July 1975

No. F. 48-Ad(AT)/75.—In continuation of this Office Notification No. F. 48-Ad(AT)/74-P.II dated 22nd January, 1975 read with Office Notification No. F. 48-Ad(AT)/75, dated 15th July, 1975, Shri N. K. Chaurasia, a permanent Assistant Registrar in the Income-tax Appellate Tribunal, Delhi Benches, New Delhi who was granted extension of service from 1st February, 1975 to 31st July, 1975, is granted further extension of service for a period of six months from 1st Aug. 1975 to 31st January, 1976, both days inclusive.

The 31st July 1975

No. F. 48-Ad(AT)/75-P.II.—Shri R. C. Srivastava, Senior Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay who was continued to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay on *ad-hoc* basis in a temporary capacity upto 30th June, 1975 (A.N.) *vide* this office Notification No. F. 48-Ad(AT)/75 dated 28th May, 1975, is now permitted to continue to officiate on *adhoc* basis in a temporary capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay for a further period of 3 months from 1st July, 1975 to 30th September, 1975 or till the post is filled up by regular appointment whichearlier.

No. F. 48-Ad(AT)/75-P.II.—Shri L. R. Aggarwal, Senior Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay who was continued to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay on *ad-hoc* basis in a temporary capacity upto 30th June, 1975 (A.N.) *vide* this office Notification No. F. 48-Ad(AT)/75 dated 28th May, 1975, is now permitted to continue to officiate on *adhoc* basis in a temporary capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay for a further period of 3 months from 1st July, 1975 to 30th September, 1975 or till the post is filled up by regular appointment whichever is earlier.

No. F. 48-Ad(AT)/75-P.II.—Shri M. M. Prasad, officiating Superintendent on *ad-hoc* basis in a temporary capacity in the Income-tax Appellate Tribunal Bombay Benches, Bombay who was continued to officiate on *ad-hoc* basis in a temporary capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal Cuttack Bench, Cuttack upto 30th June, 1975 (A.N.) *vide* this office Notification No. F. 48-Ad(AT)/75 dated 28th May, 1975, is now permitted to continue in the same capacity as Assistant Registrar Income-tax Appellate Tribunal, Cuttack Bench, Cuttack on *ad-hoc* basis for a further period of 3 months from 1st July, 1975 to 30th September, 1975 or till the post is filled up on regular basis, whichever earlier.

HARNAM SHANKAR
President

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 13th August 1975

Ref. No. Raj/IAC/Acq./259.—Whereas, I, C. S. Jain, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 6 & 6A, situated at Jaipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jaipur on 1974, Dec. 12
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kanhiyalal Tiwari s/o Shri Narainji Tiwari, Nahargarh Road, Jaipur.

(Transferor)

(2) Radheyshyam Jhalani s/o Shri Murlidhar Jhalani, Jaipur.

(Transferee)

(3) Shri Ravindernath s/o Shri Mahendranath. (Person in occupation of the property)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Block 6 & 6A forming part of the property known as Jhumarlalji-ki-Bagichi, owned by Shri Kanhiyalal Tiwari, situated at Motilal Atal Road, Opposite Polo Victory Cinema, Jaipur.

C. S. JAIN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 13-8-1975.
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 13th August 1975

Ref. No. Raj/IAC/Acq./260.—Whereas, I, C. S. Jain, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 10 & 10A, situated at Jaipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jaipur on 1974 Dec. 12
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kanhiyalal Tiwari s/o Shri Narainji Tiwari. (Transferor)

(2) Shri Suresh Kumar s/o Shri Kamla Prasad. (Transferee)

(3) Shri Harlal s/o Sadiram. (Person in occupation of the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Block No. 10 & 10A forming part of property known as Jhumarlalji-ki-Bagichi, owned by Shri Kanhiyalal Tiwari, situated at Motilal Atal Road, Opposite Polo Victory Cinema, Jaipur alongwith construction thereon.

C. S. JAIN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 13-8-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 13th August 1975

Ref. No. Raj/IAC/Acq./261.—Whereas, I, C. S. Jain, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 12 & 12A, situated at Jaipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Jaipur on 1974 Dec. 21 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Kanhiyalal Tiwari s/o Shri Narainji Tiwari. (Transferor)

(2) Shri Baboolal & Prem Prakash Gupta, sons of Badrilal Gupta. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Block No. 12 & 12A forming part of property known as Jhumarlalji-ki-Bagichi, owned by Shri Kanhiyalal Tiwari, situated at Motilal Atal Road, Opposite Polo Victory Cinema, Jaipur alongwith construction thereon.

C. S. JAIN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 13-8-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 13th August 1975

Ref. No. Raj/IAC/Acq./262.—Whereas, I, C. S. Jain, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 18 & 18A, situated at Jaipur
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jaipur on 1974 Dec. 18
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income raising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kanhiyalal Tiwari, s/o Shri Narainji Tiwari, Nahargarh Road, Jaipur.
(Transferor)

(2) Shri Braham Dutt Sharma s/o Prabhudayal Sharma, 46 B, Bapunagar, Jaipur.
(Transferee)

(3) Shri Ganpatlal Sindhi. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Block No. 18 & 18A forming part of the property known as Jhumarlalji-ki-Bagichi, owned by Shri Kanhiyalal Tiwari, situated at Motilal Atal Road, Opposite Polo Victory Cinema, Jaipur alongwith construction on it.

C. S. JAIN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 13-8-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 13th August 1975

Ref. No. Raj/IAC/Acq./263.—Whereas, I, C. S. Jain, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 19 & 19A, situated at Jaipur
(and more fully described in
the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jaipur on 1974 Dec. 31
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kanhiyalal Tiwari, Nahargarh Road, Jaipur. (Transferor)

(2) Shri Mohanlal Jain s/o Sh. Nathulal Jain. (Transferee)

(3) Shri Murlidhar Pareek. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Block No. 19 & 19A forming part of property known as Jhumarlalji-ki-Bagichi, owned by Shri Kanhiyalal Tiwari, situated at Motilal Atal Road, Opposite Polo Victory Cinema, Jaipur alongwith construction thereon.

C. S. JAIN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 13-8-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 13th August 1975

Ref. No. Raj/IAC/Acq./264.—Whereas, I, C. S. Jain, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 21, situated at Jaipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jaipur on 1974 Dec. 31
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kanhiyalal Tiwari, s/o Shri Narainji Tiwari, Nahargarh Road, Jaipur.
(Transferor)

(2) Shri Nathu Ram Tiwari, Father and Natural Guardian of Shri Guru Prasad (Minor), Gram Panchayat Murlipura Jhotwara, Jaipur.
(Transferee)

(3) Shri Ganpat Panjabi. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Block No. 21 forming part of property known as Jhumarlalji-ki-Bagichi, owned by Shri Kanhiyalal Tiwari, situated at Motilal Atal Road, Opposite Polo Victory Cinema, Jaipur alongwith construction thereon.

C. S. JAIN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 13-8-1975.
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 13th August 1975

Ref. No. Raj/IAC/Acq./265.—Whereas, I, C. S. Jain, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Nos. 22 & 23, situated at Jaipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at
Jaipur on 1975, Jan. 21
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth Tax, Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Kanhiyalal Tiwari, s/o Shri Narainji Tiwari, Nahargarh Road, Jaipur.
(Transferor)

(2) Shri Nathu Ram Tiwari Father and Natural Guardian of Shri Yatinder Kumar (Minor), Gram-Panchayat, Murlipura Jhotwara, Jaipur.
(Transferee)

(3) Shrimati Sarbati Devi, Shri Laxmi Narain. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Block Nos. 22 & 23 forming part of property known as JhumarJalji-ki-Bagichi, owned by Shri Kanhiyalal Tiwari, situated at Motilal Atal Road, Opposite Polo Victory Cinema, Jaipur alongwith construction thereon.

C. S. JAIN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 13-8-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 13th August 1975

Ref. No. Raj/IAC/Acq./266.—Whereas, I, S. C. Jain, being the competent authority under section 269B of the Income tax Act 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Nos. 24 & 30 situated at Jaipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of Registering Officer at Jaipur on 1974, Dec. 18, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kanhiyalal Tiwari, s/o Shri Narainji Tiwari, Nahargarh Road, Jaipur.

(Transferor)

(2) Shri Godawai Devi Trust, Bani Park, Jaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Block Nos. 24 & 30 forming part of property known as Jhumarlalji-ki-Bagichi, owned by Shri Kanhiyalal Tiwari, situated at Motilal Atal Road, Opposite Polo Victory Cinema, Jaipur alongwith construction thereon.

C. S. JAIN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 13-8-1975.
Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JAIPUR.

Jaipur, the 13th August 1975

Ref. No. Raj/IAC/Acq./267.—Whereas, I, C. S. Jain, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
38, situated at Jaipur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Jaipur on 27th January 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in
the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Kanhiyalal Tiwari s/o Srinarainji Tiwari, Nahargarh Road, Jaipur. (Transferor)

(2) Shri Nathu Ram Tiwari, father and natural guardian of Shri Vijai Kumar Tiwari (minor). (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shal lhave the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Block No. 38 forming part of the property known : Jhumarlalji-ki-Bagichi, owned by Shri Kanhiyalal Tiwa situated at Motilal Atal Road, Opposite Polo Victory Cinem Jaipur.

C. S. J
Competent Autho
Inspecting Assistant Commissioner of Income
Acquisition Range, J

Date : 13-8-1975.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-V, BOMBAY-400020

Bombay-400020, the 7th August 1975

Ref No. AR.V.(221/17)/74-75.—Whereas, I, J. B. Mehra, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 128 H. No. 7-C & 7-D—CTS No. 795 (pt.) situated at Mulund (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Bombay on 20-11-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the eduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' is respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

w, therefore in pursuance of section 269C, of the 'Said I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aid property by the issue of this notice under sub-sec-1) of section 269D of the 'Said Act' to the following s, namely :—

(1) Smt. Janabai Gopal Vaity & Others. (Transferor)

(2) State Bank of India Staff 'Chitralekha Coop- Housing Society Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground situated at East Mulund, Bombay-81 bearing survey No. 128, Hissa No. 7-C and 7-D, City survey CTS No. 795 part, Tika No. 110-120 admeasuring as follows :—

Hissa No.	As per record of rights.		As per actual admeasurement.	
7-C	726 S. Yds.	607 Sq. Mts.	730 S. Yds.	610.35 Sq. Mts.
7-D	605 ,,	505.83 ,,	610 ,,	510.01 ,,
Total	1331	1112.83	1340	1120.36

in the registration Sub-District Bandra, Bombay Suburban District Taluka Kurla and bounded as follows : North Hissa Nos. 2 and 3 of Survey No. 1281 South by Hissa No. 6A of survey No. 128, East by Hissa No. 7-B of survey No. 128 and West by 30′ wide access Road.

J. M. MEHRA,
Competent Authority,
Inspecting Assit. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V, Bombay-400020.

Date : 7-8-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI.

New Delhi, the 13th August 1975

Ref. No. IAC Acq.I/SR-III/Feb-I/(18)/611/74-75/2806.—Whereas, I, C. V. Gupte,
being the competent authority under
Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. A-22, Kailash Colony situated at New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at New Delhi on 20-2-1975,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sardar Sher Jasjit Singh, s/o Sardar Ram Singh, r/o 527 Sector 8-B, Chandigarh.
(Transferor)

(2) Shri Major G. S. Saini, s/o Dr. Mausa Singh, r/o A-38, Kailash Colony, New Delhi.
(Transferee)

*(3) Chief Administrative Officer Ministry of Defence, New Delhi.
[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Plot of land including the building constructed thereon bearing No. A-22, Kailash Colony, New Delhi, measuring 810-8/10 sq. yds. bounded as under :—

North : Plot No. A/19.
South : Road.
East : Plot No. A/21.
West : Plot No. A/23.

C. V. GUPTE,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range-I, New Delhi.

Date : 13-8-1975.
Seal :
*Strike off where not applicable.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-V AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG, BOMBAY-400020

Bombay-400020, the 28th July 1975

Ref. No. AR.V/228/74-75/24.—Whereas, I, J. M. Mehra, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 320(part) (Old No. 316), situated at Chembur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 6-12-1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri D. J. Mahudawala & Others. (Transferor)

(2) Shri Shamji Khimji Chheeda & Ravji Khimji Cheda. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used here as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land situate at Chembur Greater Bombay, in the Bombay Suburban District, in the Registration Sub-District of Bandra, now in the Registration Sub-District of Bombay City and Suburban and bearing No. C.T.S. No. admeasuring 13,150.65 sq. metres (15,728 sq. yds.) or thereabouts and being a portion of the land admeasuring 140 acres and 12½ Gunthas or thereabouts (less 7 Acres and 34 Gunthas covered by the Eastern Express Highway) and being a part of Old survey No. 316 and New survey No. 320.

J. M. MEHRA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V, Bombay.

Date : 28-7-1975.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 15th July 1975

Ref. No. 178/Acq/Ghaziabad/74-75/725.—Whereas, I, F. J. Bahadur,
being the competent authority under section 269B
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule, situated at 262, New Gandhi Nagar, Ghaziabad,
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the
office of the Registering Officer at
Ghaziabad, on 19-12-74,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Harbhajan Lal s/o Shri Ghela Ram r/o 123, 124, New Gandhi Nagar, Ghaziabad, Distt. Meerut.

(Transferor)

(2) Smt. Radha Rani w/o Shri Chaman Lal Baba r/o 3/75, Nehru Nagar, Ghaziabad, Pargana Launi, Teh. Ghaziabad Distt. Meerut.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Immovable Kothi No. 262 (Plot No. s. 123 and 124), New Gandhi Nagar, Ghaziabad transferred for an apparent consideration of Rs. 1,95,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 15-7-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, HYDERABAD.

Hyderabad, the 31st July 1975

Ref. No. RAC. No. 88/75-76.—Whereas, I, R. Rangayya, being the competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 6-3-712/12/7 situated at Panjagutta, Hyderabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad, on 7-12-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Dr. T. Dharmareddy, s/o Late Bhuchareddy, r/o 8-1-299/B Shaikpet, Tolichoki, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Shri V. Vasudeva Reddy, s/o Late V. Rangareddy, C/o M/s Bharathi Vanidya Pvt. Ltd., 101, Suryakiran Building, Kasturiba Gandhi Marg, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property : House bearing No. 6-3-712/127 MIGH, at Bansilal Bagh Colony, Panjagutta, Hyderabad.

R. RANGAYYA,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 31-7-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 30th July 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. Munshi, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 272, 273, 280/1, 280/2 and 280/3, Block No. 103, Plot No. 73 Part), Bhartipur Ward, Jabalpur, situated at Jabalpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on 26-12-74, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Manzoor Ahmed Khan, Shri Makbul Ahmed Khan and Shri Ajmel Khan all sons of Shri Anwar Khan Hanumantal, Jabalpur.

(Transferors)

(2) Shri Parasram Agarwal s/o Shri Khunnalal Agarwal, Miloni, Ganj, Jabalpur.

(Transferee)

*(3) (1) Shri Lakanchand Jain C/o Kumar Stores, Andherdeo, Jabalpur (2) Shri R. Biswas, Calcutta Homdeo Store, Andherdeo, Jabalpur (3) Shri Khemchand Jain, (4) Chedilal C/o Chouhan Tailors, (5) Shri Gourishankar, (6) M. M. Seth P/O M/s Usha Footweal, (7) M/s Sardar House, (8) Shri Nenumal P/O Asha Dresses, Jabalpur.

[Persons in occupation of the property]

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, *whichever period expires later*;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of H. No. 279, 280 Block No. 103, Plot No. 73 (Part) Bartipur Ward, Jabalpur.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 30-7-1975
Seal :

*[Strike off where not applicable.]

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 30th July 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. Munshi,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. House No. 277 and 277/1, Block No. 103 plot No. 73 (part) Bhartipurward, Jabalpur,
situated at Jabalpur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on 26-12-1974,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration on such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'Said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Manzoor Ahmed Khan, Shri Makbul Ahmed Khan and Shri Ajmel Khan s/o Shri Anwar Khan, Hanumantal, Jabalpur.

(Transferor)

(2) Shri Anil Kumar Agarwal S/o Shri Paresram Agarwal, Kotwali Bazar, Jabalpur.

(Transferee)

*(3) Lakanchand Jain C/o Kumar Stores, Andherdeo, Jabalpur, (2) Shri R. Biswas, Calcutta Bomdeo Store, Andherdeo, Jabalpur, (3) Shri Khemchand Jain, (4) Chedilal C/o Chouhan Tailors, (5) Shri Gourishankar, (6) M. M. Seth P/O M/s Usha Footweal, (7) M/s Sardar House, (8) Shri Nenumal P/O Asha Dresses, Jabalpur.

(Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 275 and 276, Block No. 103, Plot No. 73 (Part) Bhartipur Ward, Jabalpur.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 30-7-1975

Seal :

*[Strike off where not applicable.]

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BHOPAL

Bhopal, the 30th July 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. Munshi,
being the competent authority under section 269B
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
H Portion of house No. 278 and 279, Block No. 103 plot No. 73 (Part) Bhartipur Ward, Jabalpur situated at Jabalpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jabalpur on 26-12-74
for an apparent consideration which is less than
the fair market valuc of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liabllity of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Manzoor Ahmed Khan, Shri Makbul Ahmed Khan and Shri Ajmel Khan Sons of Shri Anwer Khan, Hanumantal, Jabalpur.

(Transferor)

(2) Shri Mithailal Agarwal S/o Shri Khunnelal Agrawal, R/ Nivadganj, Jabalpur.

(Transferee)

(3) 1. Lakanchand Jain C/o Kumar Stores, Andherdeo, Jabalpur. 2. Shri R. Biswas, Calcutta Homdeo Store, Andherdeo, Jabalpur. 3. Shri Khemchand Jain, 4. Chedilal C/o Chouhan Tailors, 5. Shri Gourishankar. 6. M. M. Seth P/O M/s Usha Footweal. 7. M/s. Sardar House. 8. Shri Nenumal P/O Asha Dresses, Jabalpur.

[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 272, 273, 280/1, 280/2 and 280/3, Block No. 103, Plot No. 73, (Part) Bhartipur Ward, Jabalpur.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 30-7-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BHOPAL

Bhopal, the 30th July 1975

Ref. No. IAC/ACQ$BPL/75-76. Whereas, I, M. F. Munshi,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason
to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Portion of H. No. 279, 280, Block No. 103 plot No. 73 (part) Bartipur Ward, Jabalpur situated at Jabalpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jabalpur on 26-12-74
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Manzoor Ahmed Khan, Shri Makbul Ahmed Khan and Shri Ajmal Khan Sons of Shri Anwar Khan, Hanumantal, Jabalpur.

(Transferor)

(2) Shri Kishanlal Agarwal, S/o Shri Mahadeoprasad Agrawal, Miloni Ganj, Jabalpur.

(Transferee)

(3) 1. Lakanchand Jain C/o Kumar Stores, Andherdeo, Jabalpur. 2. Shri R. Biswas, Calcutta Homdeo Store, Andherdeo, Jabalpur. 3. Shri Khemchand Jain, 4. Chedilal C/o Chouhan Tailors. 5. Shri Gourishankar. 6. M. M. Seth P/O M/s Usha Footweal. 7. M/s. Sardar House. 8. Shri Nenumal P/O Asha Dresses, Jabalpur.

[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall, have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 274 and 273, Block No. 103 Plot No. 73 (Part) Bhartipur Ward, Jabalpur.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 30-7-1975

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BHOPAL

Bhopal, the 30th July 1975

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/75-76.—Whereas, I, M. F. Munshi,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
House No. 274 and 273 Block No. 103 Plot No. 73 Bhartipur Ward, Jabalpur situated at Jabalpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jabalpur on 26-12-74
apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Manzoor Ahmed Khan, Shri Makbul Ahmed Khan and Shri Ajmel Khan Sons of Shri Anwar Khan, Hanumantal, Jabalpur.
(Transferor)

(2) Smt. Laxmi Devi W/o Shri Paresram Agarwal R/o Kotwali Bazar, Jabalpur.
(Transferee)

(3) 1. Lakanchand Jain C/o Kumar Stores, Andherdeo, Jabalpur. 2. Shri R. Biswas, Calcutta Homdeo Store, Andherdeo, Jabalpur. 3. Shri Khemchand Jain, 4. Chedilal C/o Chouhan Tailors, 5. Shri Gourishankar. 6. M. M. Seth P/O M/s Usha Footweal, 7. M/s. Sardar House, 8. Shri Nenumal P/O Asha Dresses, Jabalpur.
[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 277 and 277/1, Block No. 103 Plot No. 73 (Part) Bhartipur Ward, Jabalpur.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 30-7-1975

Seal :

FORM ITNS ———

NOAICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BHOPAL

Bhopal, the 30th July 1975

Ref. No. IAC/ACQ$BPL/75-76.Whereas, I, M. F. Munshi,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
House No. 275 and 276, Block No. 103, Plot No. 73 (Part) Bhartipur Ward, situated at Jabalpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jabalpur on 26-12-74
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Manzoor Ahmed Khan, Shri Makbul Ahmed Khan and Shri Ajmel Khan Sons of Shri Anwar Khan, Hanumantal, Jabalpur.
(Transferor)

(2) Shri Sunil Kumar (Minor) S/o Shri Parshram Agarwal through father Shri Parasram Agrawal, R/o Miloniganj, Jabalpur.
(Transferee)

(3) 1. Lakanchand Jain C/o Kumar Stores, Andherdeo, Jabalpur. 2. Shri R. Biswas, Calcutta Homdeo Store, Andherdeo, Jabalpur. 3. Shri Khemchand Jain, 4. Chedilal C/o Chouhan Tailors. 5. Shri Gourishankar. 6. M. M. Seth P/O M/s Usha Footweal. 7. M/s. Sardar House. 8. Shri Nenumal P/O Asha Dresses, Jabalpur.
[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of house No. 278 and 279 Block No. 103 Plot No. 73 (Part) Bhartipur Ward, Jabalpur.

M. F. MUNSHI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 30-7-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 31st July 1975

Ref. No. Phg/121/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Property, situated at G. T. Road Phagwara, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phagwara in December 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

11—216GI/75

(1) Shri Telu Ram s/o Shri Ramdass Mal r/o Phagwara.
(Transferor)

(2) Shri Gurdip Singh s/o Shri Balwant Singh s/o Shri Bhagat Singh r/o Palahi Teh. Phagwara.
(Transferee)

*(3) All tenants in possession of the property.
(Person in occupation of the property)

*(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registered Deed No. 1593 of December, 1974 of the Registering Authority, Phagwara.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 31-7-1975

Seal :

*(Strike off where not applicable.)

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 31st July 1975

Ref. No. ASR/122/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Portion of Kothi, situated at 96 Green Avenue, Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Amritsar in December 1974,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagdish Chand s/o Shri Nanak Chand, 96 Green Avenue, Amritsar.
(Transferor)

(2) Shri Ravinder Kumar Arora s/o Shri Kahan Chand Arora, 210-A Maqbool Road, Amritsar.
(Transferee)

*(3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

*(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person intersted in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of Kothi No. 96 Green Aveune, Amritsar as mentioned in the Registered Deed No. 3056 of December, 1974 of the Registering Authority, Amritsar.

V. R. SAGAR,
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 31-7-1975
Seal :

*(Strike off where not applicable.)

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 31st July 1975

Ref. No. FZR/123/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land situated at V. Sodhi Nagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Ferozepur in December 1974,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurdip Singh, Ranjit Singh s/o Shri Balwant Singh, Sodhi Nagar through Shri Harsimran Singh s/o Gurpal Singh GA r/o Ferozepur Cantt.
(Transferor)

(2) Shri Darshan Singh, Ajmer Singh, Thana Singh s/o Gurnam Singh s/o Shri Nazir Singh r/o Thatha Teh. Zira District Ferozepur. Sukhwant Singh Sukhmandir Singh s/o Shri Harnek Singh s/o Shri Nazir Singh r/o Thatha Teh. Zira District Ferozepur.
(Transferee)

*(3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

*(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deeds Nos. 3649 3650, 3651 & 3652 of December, 1974 of the Registering Authority, Ferozepur.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 31-7-1975
Seal :
*(Strike off where not applicable.)

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 31st July 1975

Ref. No. ASR/124/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Property, situated at Hide Market, Amritsar (No. 68), (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Amritsar in December 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or that Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, In pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Smt. Sumitra Devi w/o Shri Beant Singh Kumar 68 Hide Market, Amritsar.
(Transferor)

(2) Smt. Saroj Chowdhry w/o Shri Om Kumar Chowdhry, Raghunathpura, Majitha Road, Amritsar.
(Transferee)

*(3) M/s Jae co Disel (P) Ltd.
(Person in occupation of the property)

*(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registered Deed No. 3000 of December, 1974 of the Registering Authority, Amritsar.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 31-7-1975
Seal :

*(Strike off where not applicable.)

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 31st July 1975

Ref. No. MGA/125/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
'No. Land, situated at Mandi Gawalan
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Moga in December 1974,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Tehal Singh s/o Shri Ranjit Singh s/o Shri Naurang Singh r/o Mandi Gawalan Teh. Moga.
(Transferor)

(2) Shri Surjit Singh, Balbahadar Singh ss/o Shri Bikar Singh s/o Shri Kartar Singh r/o Chotia Choban Teh. Moga.
(Transferee)

*(3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

*(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 6023 of December, 1974 of the Registering Authority, Moga.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 31-7-1975

Seal :

*(Strike off where not applicable.)

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 31st July 1975

Ref. No. FDK/126/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, *being the Competent Authority* under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Property, situated at Main Bazar, Faridkot. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Faridkot in December 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following person namely :—

(1) Shrimati Lajwanti w/o Shri Ram Rashpal c/o M/s Jai Ram Dass Ram Rashpal, Ajanta Enterprises, Main Bazar, Faridkot.
(Transferor)

(2) Shri Harkishan Singh, Shri Shamsher Singh ss/o Shri Harbans Singh, Shri Bachitter Singh s/o Shri Charan Singh c/o M/s Bachitter Singh Harkishan Singh, Main Bazar, Faridkot.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
and M/s Bachitter Singh Harkishan Singh.
(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. B-VIII/229 Main Bazar, Faridkot as mentioned in the Registered Deed No. 2956 of December, 1974 of the Registering Authority, Faridkot.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 31-7-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 31st July 1975

Ref. No. Phg/127/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot of land, situated at 25-A Model Town Phagwara, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Phagwara in December 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Balbhadar Singh s/o Shri Parduman Singh A/o Baddon, Teh. Garhshankar now at Phagwara. (Transferor)

(2) S/Shri Tarseem Lal, Satish Kumar, Sushil Kumar ss/o Shri Bansi Lal, 42-B Model Town, Phagwara. (Transferee)

(3) As at S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 25-A Model Town, Phagwara as mentioned in the Registered Deeds No. 1708, 1707 & 1706 of December, 1974 of the Registering Authority, Phagwara.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 31-7-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 31st July 1975

Ref. No. Phg/128/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. House, situated at Plot No. 14-A Model Town, Phagwara,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phagwara in December 1974,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the Said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Kartar Singh s/o Shri Gopal Singh r/o Phagwara.
(Transferor)

(2) Shri Balbhadar Singh s/o Shri Parduman Singh r/o Baddon Teh. Garh Shanker now at Phagwara.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Plot No. 14-A Model Town, Phagwara as mentioned in the Registered Deed No. 1711 of December, 1974 of the Registering Authority, Phagwara.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 31-7-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 31st July 1975

Ref. No. Phg/120/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House, situated at Plot No. 14-A Model Town. Phagwara, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phagwara in December 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kartar Singh S/o Shri Gopal Singh r/o Phagwara.
(Transferor)

(2) Shri Balbhadar Singh s/o Shri Parduman Singh r/o Baddon Teh. Garh Shanker now at Phagwara.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Plot No. 14-A Model Town, Phagwara as mentioned in the Registered Deed No. 1717 of December, 1974 of the Registering Authority, Phagwara.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 31-7-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 31st July 1975

Ref. No. Phg/130/75-76.—Wheeras, I, V. R. Sagar, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. House, situated at Plot No. 14-A Model Town, Phagwara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Phagwara in December 1974,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Shri Jatinder Singh s/o Shri Kartar Singh s/o Shri Gopal Singh r/o Phagwara.
(Transferor)

(2) Shri Harbhajan Singh s/o Shri Balbhadar Singh r/o Baddon Teh. Garh Shanker now at Phagwara.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Plot No. 14-A Model Town, Phagwara, as mentioned in the Registered Deed No. 1710 of December, 1974 of the Registering Authority, Phagwara.

V. R. SAGAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Amritsar

Date : 31-7-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 31st July 1975

Ref. No. Phg/131/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. House, situated at Plot No. 14-A Model Town, Phagwara,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at
Phagwara in December 1974,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property is aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration tion and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act' to the following persons namely :—

(1) Shri Jalinder Singh s/o Shri Kartar Singh r/o Phagwara.
(Transferor)

(2) Shri Harbhajan Singh s/o Shri Balbhadar Singh r/o Baddon Teh. Garh Shanker now at Phagwara.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Plot No. 14-A Model Town, Phagwara as mentioned in the Registered Deed No. 1718, of December, 1974 of the Registering Authority, Phagwara.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 31-7-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 31st July 1975

Ref. No. FDK/132/75-76.—Whereas, I, V .R. Sagar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land, situated at V. Mohmuana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Faridkot in December 1974, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Beant Singh s/o Shri Amir Singh Saraf, Main Bazar, Faridkot.
(Transferor)

(2) S/Shri Gurdial Singh, Surjit Singh, Harjit Singh, Surjan Singh, Jaswant Singh, Sukhwant Singh s/o Shri Bahal Singh V. Mohmuana Teh. Faridkot.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2900 of December, 1974 of the Registering Authority, Faridkot.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 31-7-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 31st July 1975

Ref. No. FDK/133/75-76.—Whereas, I, V. R. Sagar, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land, situated at V. Mohmuana
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Faridkot in December 1974,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Beant Singh s/o Shri Amir Singh Saraf, Main Bazar, Faridkot.
(Transferor)

(2) Shri Balwant Singh, Kulwant Singh, Sooha Singh ss/o Shri Garmaij Singh Shri Udhum Singh, Pipal Singh s/o Shri Shangara V. Mohmuana Teh. Faridkot.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2901 of December 1974 of the Registering Authority, Faridkot.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 31-7-1975
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, V
CALCUTTA

Calcutta, the 2nd August 1975

Ref. No. AC-8/ACQ-R-V/Cal/75-76.—Whereas, I, S. S. INAMDAR,
being the competent authority under section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 235/4, G. T. Road (North), situated at Salkia, P. S. Malipanch Ghora, District-Howrah
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Howrah on 9-12-1974 for an
apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Gyan Chand Matharoo,
2. Shri Jogendra Singh Matharoo,
2/1A, Ahmmad Mamooji St. Malipanch Ghora, Dist. Howrah.

(Transferor)

(2) S/Shri
1. Tarsam Singh Matharoo,
2. Nirmal Singh Matharoo &
3. Sarjeet Singh Matharoo of 2/1A, Ahmmad Mamooji Street, Howrah.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 bigha 15 cottahs 2 chattaks 10 sft. with building, comprised of holding No. 235/4, G.T. Road (North) Salkia, P.S. Malipanch Ghora, Dist- Howrah.

S. S. INAMDAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-V,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 2-8-1975

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-V,
AAYAKAR BHAWAN, M. KARVE MARG,
BOMBAY-400020

Bombay-400020, the 31st July 1975

Ref. No. AR V/219/74-75/15.—Whereas, I, J. M. Mehra, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 8, N.A. No. 40, situated at Kurla (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Bombay on 28-11-1974 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the Said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kum. Bina Popatlal Kapadia. (Transferor)

(2) Horizon Construction Co. Pvt. Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground situate or being at Village Kurla in Greater Bombay in the Registration Sub-District of Bombay City and Bombay Suburban and bearing Survey No. 8, N. A. No. 40 admeasuring 3862 sq. yds. (equivalent to 3229.47 sq. metres) or thereabouts together with the structure standing thereon and bounded as follows : that is to say on or towards the North and West by a Colony of the Maharashtra Board on the remaining part of Survey No. 81 on or towards the South by the colony of the Maharashtra Housing Board on the remaining part of survey No. 8, and on or towards the East by the Kurla Vihar Road property bears city Survey No. 191.

J. M. MEHRA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V, Bombay

Date : 31-7-1975

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 2nd August 1975

Ref. No. Acq. File No. 218/J. No. I(640)/GTR/74-75.—Whereas, I, B. V. Subba Rao,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
2757 Satyanarayana Rice & Flour Mill, Situated at Macherla Rd, Vinukonda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Vinukonda on 31-12-74
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any monyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Jonnadula Pitchaiah, S/o Krishnaiah, Mutlur.
2. Arumalla Rama Koti Reddy, S/o Subba Reddi, Valiveru.
3. Gade Sivarama Krishna Reddy, S/o Veera Reddy, Valiveru.
4. Majeti Subba Rao, S/o Guravaiah, Valiveru.
5. Annavarapu Venkateswarlu, S/o Satyanarayana, Chinaravur.
6. Appikatla Veeraiah S/o Narasaiah, Chinaravur.
(Transferor)

(2) 1. Kotha Sankara Rao, S/o V. L. Narasimha Rao, Kavutlapally, Miriyalaguda, Tq. Nalgonda Distt.
2. Kotha Krishna Rao, M/g. father V. L. Narasimha Rao, Kavutlapally, Miriyalaguda Tq. Nalgonda Dt.
3. Emmadi Narayana, S/o Veeraiaha, Nakarakallu, Nalgonda Dt.
4. Gajjala Ramaiah, S/o Kotaiah, Nakarakallu Nalgonda Dt.
5. Jaisey Ramalingaiah, S/o Narayana, Kamalacheruvu, Huzurnagar Taluk.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per sale deed dt. 30-12-74 *vide* doc. no. 1908 of SRO, Vinukonda for F. N. 31-12-74.

B. V. SUBBARAO,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 2-8-1975
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, V
AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG,
BOMBAY-400020

Bombay-400020, the 31st July 1975

Ref. No. AR.V/217/74-75/13.—Whereas, I, J. M. Mehra, the Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax, Acquisition Range-V, Bombay,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 82 and CTS Nos. 427 & 428 (Part),
situated at Village Deonar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Bombay on 3-12-74
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Malati Jal Ardeshir Naoroji, (Transferor)

(2) Smt. Swaran Dineschandra Patel. (Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground and premises situate at village Devnar (also known as Devnaram) formerly in Taluka Kurla, District Bombay Suburban and now within Greater Bombay and in the Registration Sub-District Bandra, distinctly Bombay City and Suburban forming part of land bearing survey No. 82 and C.T.S. Nos. 427 and 428 (part) admeasuring 823.58 Sq. metres (i.e. 985 sq. yards) and bounded as follows :—that is to say :—on or towards the North by a passage 15 feet wide; on or towards the south by the remaining portion of the land bearing survey No. 82; on or towards the West by a 44 feet wide road and on or towards the East by the remaining portion of land bearing survey No. 82.

J. M. MEHRA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V, Bombay.

Date : 31-7-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, NAGPUR

Nagpur, the 19th July 1975

Ref. No. IAC/ACQ/37-A/75-76.—Whereas, I, D. Rama Rao,
being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'Said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Godown No. 9, Municipal No. 3833 (Old) and New No. 3766 situated at New Mondha, Jalna
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908)
in the office of the Registering Officer at
Jalna on 24-12-1974
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by issue of this notice under-sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Lalitaprasad s/o Balaprasad Jaswal.
(Transferor)

(2) Shri Nandkishor s/o Chaganrao Khardekar,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Area of the Godown sold is 120'×33' out of which, an area of 22'×14' is covered by roof 15'×31' by tin shade and there is a court-yard of remaining area. The Godown is situated at road side which is known as Moundha Road, Jalna, Distt. Aurangabad.

D. RAMA RAO,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Nagpur.

Date : 19-7-1975
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, 'JYOTHI BUILDINGS, GOPALA-PRABHU ROAD, ERNAKULAM, COCHIN-11.

Cochin-11, the 13th August 1975

Ref. No. L.C. No. 45/75-76.—Whereas, I, M. M. Kurup, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sy. Nos. as per schedule situated at Kazhani amsom desom in Palghat,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Alathur on 2-11-1974,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Janaki Amma, D/o Sri Raman Nair, Mannathu House, Kazhany, Alathur.

(Transferor)

(2) Shri K. M. ARUMUGHAN, S/o Sri. Murugan, Karakkadu Veedu, Kunisseri Amsom, Alathur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used here as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1 Acre 42 Cents of land with buildings thereon in Sy. Nos. 50/2 & 50/10 in Kazhani Amsom Desom in Alathur in Palghat District.

M. M. KURUP,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam.

Date : 13-8-1975

Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975